रजिस्ट्री सं. डी.--(डी एन)--73 REGISTERED NO. D--(DN)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 14, 1984 (पौष 24, 1905)
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 14, 1984 (PAUSA 24, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I--खंड 1--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	13
भाग I--खंड 2--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	
भाग I--खंड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	
भाग I--खंड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	51
भाग II--खंड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खंड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खंड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खंड 3--उप-खंड(i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खंड 3--उप-खंड(ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खंड(iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खंड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खंड 1--उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	597
भाग III--खंड 2--पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	17
भाग III--खंड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	1
भाग III--खंड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	505
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	11
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	13
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	31
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	51
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	597
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	17
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	1
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	505
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	1
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोकसभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001 23 दिसम्बर 1983

सं० 4/4/80-आर० सी० सी०—5 दिसम्बर, 1983 को श्री सदाशिव बगाईतकर का निधन हो जाने के कारण हुए रिक्त स्थान पर राज्यसभा के सदस्य श्री लाडली मोहन निगम को रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर तथा रेलवे वित्त और सामान्य वित्त से संबंधित अन्य आनुषंगिक मामलों की पुनरीक्षा करने वाली संसदीय समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए 21 दिसम्बर, 1983 को मनोनीत किया गया है।

एच० एस० कोहली, मुख्य वित्तीय समिति अधिकारी

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 नवम्बर 1983

संकल्प

सं० ई०-11015/81-हिन्दी:—योजना आयोग के तारीख 30 मई, 1981 के संकल्प संख्या ई-11015/3/80-हिन्दी के क्रम में भारत सरकार ने आचार्य भगवान देव, सदस्य लोक सभा को योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य नामित करने का निर्णय किया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० सी० अग्रवाल
निदेशक (प्रशासन)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 1983

सं० ई 11012/4/83-हिन्दी—ग्रामीण विकास मंत्रालय में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए "ग्रामीण विकास साहित्य पुरस्कार" नामक एक योजना आरम्भ करने का निश्चय किया है। इस योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

1. ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मानक मूल पुस्तकों के लिए दो वर्षों में एक बार 5000 रुपये व 2500 रुपये का एक-एक नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

2. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए भारत के लेखकों को प्रोत्साहित करना है।

3. केवल उच्च स्तर की मूल पुस्तकों पर ही चाहे वे हस्तलिपि में हों या प्रकाशित रूप में, पुरस्कार प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय को पुरस्कार प्राप्त-कर्ताओं के चयन और इस प्रकार के चयन को शामिल करने वाले नियम बनाने का अनन्य अधिकार होगा।

5. पुरस्कार योजना में भारतीय लेखक भाग ले सकते हैं जिनमें बहु लेखकों वाली पुस्तकों के वे सम्पादक भी शामिल हैं, जिन्होंने स्वयं भी उन पुस्तकों में पर्याप्त रूप में अंशदान किया हो और साथ ही सम्पादकीय प्राक्कथन भी दिया हो। प्रकाशित पुस्तकों और लेखक द्वारा प्रकाशन के लिए प्रस्तावित हस्तलिपियों, दोनों को ही स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते कि वे मूल रूप में लिखी गई हों और उनसे किसी अन्य व्यक्ति के कापी राइट का उल्लंघन न होता हो।

6. लेखकों का मूल्यांकन पुरस्कार वाले वर्षों के पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत की गई पुस्तकों/

हस्तलिपियों के रूप में उनके द्वारा किए गए मूल लेखन के आधार पर किया जाएगा।

7. पुरस्कार करने के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली सर्वोत्तम पुस्तकों/हस्तलिपियों के चयन के लिए एक मूल्यांकन समिति होगी।

8. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय पुरस्कार प्रदान करने के लिए अंग्रेजी व हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्रों में एक नोटिस देकर लेखकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी ओर से किसी भी पुस्तक को पुरस्कार देने के बारे में विचारार्थ शामिल कर सकता है।

9. लेखकों से अपेक्षित होगा कि वे अपने आवेदन पत्र तथा पुस्तकें अथवा हस्तलिपियां 5 प्रतियों में सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजें। इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तकों/हस्तलिपियों की प्रतियां लेखकों को लौटाई नहीं जाएंगी।

10. यदि इस पुरस्कार योजना में शामिल किसी मूल पुस्तक को किसी योजना के अन्तर्गत पुरस्कार मिल चुका हो तो लेखक को सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजे जाने वाले अपने पत्र में इस बात का उल्लेख स्पष्ट रूप से कर देना चाहिए।

11. कोई भी लेखक पुरस्कार के लिए एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है। तथापि, कोई भी लेखक दो वर्ष की अवधि विशेष में योजना के अन्तर्गत एक से अधिक पुरस्कार का हकदार नहीं होगा।

12. यदि पुरस्कार प्राप्त किसी पुस्तक/हस्तलिपि के एक से अधिक लेखक हैं तो पुरस्कार की राशि को साझी लेखकों में बराबर वितरित किया जाएगा।

13 यदि कोई भी पुस्तक/हस्तलिपि पुरस्कार/पुरस्कारों के लिए उपयुक्त नहीं पाई जाती तो पुरस्कार/पुरस्कारों को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रोक लिया जाएगा।

14 पुरस्कार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विशेष तौर पर आयोजित समारोह अथवा अन्य किसी अवसर पर प्रदान किए जाएं।

15. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय पुरस्कार प्रदान करने से काफी समय पूर्व पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को पुरस्कार के लिए उनके चुने जाने के बारे में सूचना देंगे।

सामान्य

1. जो लेखक पुरस्कार के लिए विचारार्थ अपनी पुस्तक प्रस्तुत करेगा, उसका कापी राइट समाप्त नहीं होगा।

2. पुस्तक के अनुवाद पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

3. यदि कोई प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार के लिए चुनी जाती है तो पुरस्कार की राशि का भुगतान लेखक द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा इन किन्हीं भी सरकारों से सहायता प्राप्त कर रहे किसी भी संस्थान अथवा संगठन से सहायता लिए बिना इस पुस्तक को प्रकाशित कराए जाने के बाद ही किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प का सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए

सत्य प्रकाश विशनोई
संयुक्त सचिव

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 1983

सं० एफ० 23-46/81-सी० एच०-5 (एन० सी० ए०) शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने, कला, पुरातत्व, मानवविज्ञान, अभिलेखागार, संग्रहालय सम्बन्धी संस्थाओं के कार्यकलापों को समन्वित करने तथा इस प्रकार की संस्थाओं और संगठनों की भावी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाओं की व्यवस्था करने के लिए, 19 सितम्बर, 1983 के संकल्प सं० एफ० 23-46/81-सी० एच०-5 द्वारा एक राष्ट्रीय कला परिषद की स्थापना की है। दिनांक 19 सितम्बर, 1983 के उपरोक्त संकल्प में यह उल्लेख किया गया था कि रचनात्मक कला और अनुसंधान तथा विद्वता का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ विख्यात व्यक्तियों की घोषणा बाद में की जाएगी। इसके अनुपालन में निम्नलिखित को राष्ट्रीय कला परिषद में तत्काल से नामजद करने का निर्णय किया गया है:

1. श्रीमती पुपुल जयाकर
2. श्री रवि शंकर
3. डा० मुल्क राज आनन्द
4. श्री चार्ल्स कारिया
5. श्री सान्याचौधरी
6. डा० जब्बर पटेल
7. डा० एल० पी० सिंहारे
8. श्री श्याम बेनेगल

आदेश: आदेश है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को भेजी जाएं।

यह भी आदेश है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सरला ग्रेवाल, सचिव

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली–110011, दिनांक 19 दिसम्बर 1983

(पुरातत्व)

स० 23/32/81–उ० अ०—इस कार्यालय की तारीख 1/9/82 की अधिसूचना स० 23/32/81–उ० अ० के आंशिक उपांतरण मे एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री रंगपटनम (कर्नाटक) स्थित टीपू सुल्तान का संग्रहालय और नागार्जुनकोंडा (आंध्र प्रदेश) स्थित पुरातत्वीय संग्रहालय क्रमश. प्रात. 9 00 बजे से सायं 5.00 बजे तक और प्रात. 9.00 बजे से सायं 4 00 बजे तक जनता के लिए खुले रहेंगे।

डा० (श्रीमती) देबला मित्र
महानिदेशक

समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 1983

संकल्प

विषय —स्तनपान के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिये भारतीय राष्ट्रीय संहिता

स० 18–11/81–एन० टी०—स्वास्थ्य के अर्जन तथा अनुरक्षण के लिये प्रत्येक बच्चे के पर्याप्त रूप से घोषित किए जाने के अधिकार की भारत सरकार पुष्टि करती है। शिशुओं की मृत्यु और उनमें होने वाली शारीरिक और मानसिक विकलांगताओं की अधिकतर घटनाओं का एक मुख्य सहायक कारण शिशुओं का कुपोषण है। शिशुओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषाहार से अलग नहीं रखा जा सकता। माता और उसका शिशु एक जैविक इकाई (बायोलोजिकल यूनिट) है। स्तनपान प्रजनन क्रिया का अभिन्न अंग है। शिशु को आहार देने का यह प्राकृतिक और आदर्श ढंग है और यह स्वस्थ बच्चे के विकास के लिए आद्वितीय जैविक और भावात्मक आधार है। स्तनपान की क्रमण–निरोधक विशेषताएं, शिशु की बीमारी से सुरक्षा करती है। बच्चों के जन्मान्तर की अवधि पर, मां के स्वास्थ्य और कल्याण पर, परिवार के स्वास्थ्य पर, पारिवारिक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर और खाद्य उत्पादन पर, स्तनपान के प्रभाव को काफी मान्यता प्राप्त है। अत: स्तनपान आत्मनिर्भरता और प्राथमिक स्वास्थ्य-देखभाल का मुख्य पहलू है। यह राष्ट्र का दायित्व है कि स्तनपान को प्रोत्साहित किया जाए और सुरक्षित रखा जाए और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को इसको विघटित करने वाले प्रभाव से बचाया जाए। अनुपयुक्त रूप से आहार देने की प्रक्रियाओं से, शिशुओं का कुपोषण होता है तथा हमारे बच्चे मौत और बीमारी का शिकार होते हैं। स्तनपान के विकल्पों और दूध पिलाने की बोतलों और निप्पलों जैसे अन्य सम्बन्धित उत्पादों को बढ़ावा देने से जन स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है। मां के दूध और स्तनपान कराने के लाभों से सम्बन्धित जानकारी को प्रचारित करने की अपेक्षा मां के दूध के विकल्पों और उससे सम्बन्धित उत्पादों को अधिक गहन और जोरदार ढंग से प्रचारित किया जा रहा है जिसके कारण स्तनपान कराने में कमी आती है। स्तनपान का संरक्षण करने, उसे प्रोत्साहन देने और उसकी सहायता करने के लिए जोरदार उपायों के अभाव में यह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि स्तनपान कराने की क्रिया में कमी जारी रहेगी और शिशुओं तथा छोटे बच्चों की ओर अधिक संख्या को संक्रामक रोगों, कुपोषण और मौत का खतरा होगा। जब छोटे शिशुओं को मां द्वारा स्तनपान कराया जा सके और जब स्तन दूध का अन्य स्रोत उपलब्ध न हो, तो केवल ऐसी ही अवस्था में अन्य शिशु-आहार आवश्यक हो जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि सामान्यत जब शिशु की आयु चार से छ: मास की हो जाये तो उसे उचित पूरक आहार दिया जाये और स्थानीय आहारों और परम्परागत प्रक्रियाओं पर जोर दिया जाए तथा केवल तभी जब आवश्यक हो, उचित दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ही उद्योगों में तैयार किए गए उत्पादों को प्रयोग में लाया जाए। विश्व के बच्चों के उचित पोषाहार और स्वास्थ्य को उच्चतम प्राथमिकता देने के विचार को ध्यान में रखते हुए मई 1981 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा अपनाई गई मां के दूध के विकल्पों के विपणन की एक अन्तर्राष्ट्रीय संहिता की सरकार सराहना करती है। सरकार की यह मान्यता है कि यद्यपि यह संहिता उन उत्पादों के उत्पादन और विपणन को नियमित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिनसे स्तनपान में बाधा पहुंचती है, फिर भी यह उन प्रयासों का केवल एक पहलू है जो सरकार द्वारा शिशुओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य विकास और वृद्धि के संरक्षण और बढ़ावे के लिए करने चाहिए।

शिक्षा पद्धतियों, सामाजिक सेवाओं, परिवारों, समुदायों, महिला संगठनों और अन्य गैर-सरकारी संगठनों को स्तनपान के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने और माताओं, शिशुओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषाहार की स्थिति को सुधारने की ओर लक्षित अन्य क्रियाकलापों के साथ सम्बद्ध करना चाहिए। ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए तथा जीवन के प्रारम्भिक महीनों में बच्चों की कमजोर अवस्था तथा अनुपयुक्त आहार प्रक्रियाओं जिनमें मां के दूध के विकल्पों और उससे सम्बन्धित सहायक सामग्री का अनावश्यक और अनुचित प्रयोग शामिल है, के कारण उत्पन्न खतरों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि ऐसे उत्पादों के विपणन का विनियमन किया जाए। इसलिए सरकार निम्नलिखित संहिता को अपनाने का संकल्प करती है :—

अनुच्छेद–1

इस संहिता का उद्देश्य स्तनपान के संरक्षण और बढ़ावा द्वारा और जहां कहीं आवश्यक हो, पर्याप्त जानकारी के आधार पर तथा समुचित विपणन और वितरण के माध्यम से स्तनपान के विकल्पों का उचित प्रयोग

सुनिश्चित करके शिशुओं के लिए सुरक्षित और पर्याप्त आहार की व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करना है ।

अनुच्छेद–2

संहिता का क्षेत्र

यह संहिता निम्नलिखित उत्पादों के विपणन तथा उनसे सम्बन्धित प्रक्रियाओं पर लागू होती है : स्तनपान के विकल्प, जिसमें शिशु आहार सूत्र शामिल ह, अन्य दुग्ध उत्पाद, खाद्य और पेय, जिनमें बोतल द्वारा पिलाए जाने वाले पूरक आहार भी शामिल है, यदि बेचते समय, अथवा अन्यथा, संशोधनों सहित अथवा उसके बिना, उन्हें मां के दूध का आंशिक अथवा पूरा विकल्प बताया जाय तथा दूध पिलाने की बोतले और निप्पल । यह उनकी क्वालिटी और उपलब्धता तथा उसके प्रयोग से सम्बन्धित जानकारी पर भी लागू होती है।

अनुच्छेद–3

परिभाषाए––

इस संहिता के प्रयोजनों के लिए :

"मां के दूध के विकल्प" का अर्थ है

कोई आहार जिसे मां के दूध के आंशिक या पूर्ण विकल्प के रूप में बेचा जा रहा हो, या बताया जा रहा हो, चाहे वह उन प्रयोजनों के लिये उपयुक्त हो या न हो ।

"पूरक आहार" का अर्थ है

जब मां का दूध या शिशु-आहार शिशु की पोषिक आवश्यकताओं के पूरा करने में अपर्याप्त हो तो, उस कमी को पूरा करने वाला, निर्मित या स्थानीय तौर पर तैयार किया गया आहार । ऐसे आहारों को सामान्यतया "मां के दूध का पूरक" या स्तनपान से छुड़ाए "बच्चों का आहार" कहा जाता है ।

"डब्बा (पात्र)" का अर्थ है

रैपरों सहित उत्पादन की साधारण खुदरा इकाई के तौर पर बिक्री के लिए किसी प्रकार से भी पैक किया जाना ।

"वितरक" का अर्थ है

व्यक्ति, निगम या सरकारी या निजी क्षेत्र के व्यवसाय में (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में) (लगा हुआ एकम एन्टिटी,) जो इस संहिता के क्षेत्र के उत्पादन का थोक या खुदरा स्तर पर विपणन करता है । "प्राथमिक वितरक" निर्माता का विपणन करता है । "प्राथमिक वितरक' निर्माता का बिक्री एजेन्ट, प्रतिनिधि, राष्ट्रीय वितरक या दलाल होता है ।

"स्वास्थ्य देखभाल पद्धति" का अर्थ है

माताओं, शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल में और नर्सरियों या शिशु देखभाल संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यस्त सरकारी, गैर-सरकारी या निजी संस्थान या संगठन । इसमें निजी तौर पर कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी सम्मिलित है । इस संहिता के प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पद्धति में औषधालय या अन्य प्रतिष्ठित बिक्री के निगम सम्मिलित नहीं हैं

"स्वास्थ्य कार्यकर्ता" का अर्थ है

ऐसे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के घटक में काम करने वाला व्यक्ति चाहे वह व्यावसायिक हो या गैर-व्यावसायिक, जिसमें स्वैच्छिक, अवैतनिक कार्यकर्ता शामिल है ।

"शिशु-आहार सूत्र" का अर्थ है

मां के दूध का एक ऐसा विकल्प जिसे चार-छः मास तक की आयु वाले शिशुओं की शारीरिक विशेषताओं के अनुकूल उनकी पौषणिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करने के लिए भारतीय मानक संस्थान के लागू मानकों के अनुसार औद्योगिक ईकाई में तैयार किया गया हो । शिशु-आहार सूत्र के घर पर तैयार किए जाने की अवस्था में इसे घर पर तैयार बताया जाएगा ।

"लेबल" का अर्थ है

इस संहिता के विषयक्षेत्र में किसी उत्पादक के डब्बे (ऊपर देखें) पर उत्कीर्ण किया गया या अंकित, चिन्हित, लिखित, छपा हुआ, स्टेंसिल, अंकित या संलग्न कोई टैग, मार्का, निशान, चित्रित या अन्य वर्णित विषय ।

"निर्माता" का अर्थ है

एक निगम या सरकारी या निजी क्षेत्र के व्यवसाय का कार्य में (चाहे प्रत्यक्ष हो या किसी एजेंट के माध्यम से या इसके संविदा के अधीन या उसके द्वारा नियंत्रित एकम के माध्यम से) कार्यरत इस संहिता के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पाद के निर्माण में कार्यरत एकम ।

"विपणन" का अर्थ है

उत्पादन प्रोत्साहन, वितरण, बिक्री, विज्ञापन, उत्पाद-जन सम्बन्ध और सूचना सेवाएं ।

"विपणन कार्मिक" का अर्थ है

कोई व्यक्ति जिसका कार्य उस संहिता के विषयक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद या उत्पादों के विपणन से निहित हों ।

"नमूने" का अर्थ है

बिना लागत के दिए गए उत्पाद की एक या छोटी मात्राए ।

"आपूर्ति" का अर्थ है

विशेष उद्देश्य के लिए जिसमें जरूरतमद परिवारों को दिए गए उत्पाद शामिल हैं, बढ़ी हुई अवधि के बाद में प्रयोग करने के लिए मुफ्त या घटी कीमतों पर प्रदान किए गए किसी उत्पाद की मात्रा ।

अनुच्छेद–4

जानकारी और शिक्षा

4.1 सरकार सुनिश्चित करेगी कि शिशुओं एवं छोटे बच्चों के खिलाने पिलाने के बारे में ठोस और सुसंगत जानकारी परिवारों और शिशु और छोटे बच्चों के पोषाहार के क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों को उपलब्ध की जाये । इस उत्तरदायित्व में जानकारी का आयोजन, उसकी उपलब्धता और रूपरेखा और उसका प्रचार-प्रसार करना था उनका नियन्त्रण शामिल है ।

4.2 जानकारी और शिक्षा सम्बन्धी सामग्री, चाहे यह लिखित रूप में अथवा श्रव्य रूप में अथवा दृश्य रूप में हो, जिसका संबंध शिशुओं के खिलाने पिलाने से है तथा जो गर्भवती महिलाओं और शिशुओं एवं छोटे बच्चों की माताओं के लिए है, उसमें निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में स्पष्ट जानकारी शामिल होगी :— (क) मां के दूध के लाभ और उसकी श्रेष्ठता (ख) मां के लिए पोषाहार और मां के स्तनपान के लिए सम्पाक और उसका अनुरक्षण (ग) आंशिक रूप से बोतल का दूध पिलाने का स्तनपान पर नकारात्मक प्रभाव (घ) स्तनपान न कराने के निर्णय को बदलने में कठिनाइयां और (ङ) जहां आवश्यक हो वहां शिशु आहार सूत्र का समुचित प्रयोग चाहे वह खाद्य किसी उद्योग द्वारा तैयार किया गया हो अथवा घर पर। जब इस प्रकार की सामग्री में, शिशु आहार सूत्रों के प्रयोग के संबंध में जानकारी उपलब्ध हो तो उनमें इसके प्रयोग के संबंध में सामाजिक एवं वित्तीय उलझनों, अनुचित खाद्यों अथवा खिलाने पिलाने की अनुचित विधियों से स्वास्थ्य संबंधी खतरों और विशेषकर, शिशु आहार सूत्रों तथा अन्य स्तनपान विकल्पों के अनावश्यक अथवा अनुचित प्रयोग से स्वास्थ्य संबंधी खतरों की जानकारी शामिल होनी चाहिए। ऐसी सामग्री में किसी ऐसी तस्वीर अथवा पाठ का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये जो कि स्तनपान विकल्पों के प्रयोग को श्रेष्ठता प्रदान करता हो।

4.3 निर्माताओं अथवा वितरकों द्वारा जानकारी संबंधी अथवा शिक्षात्मक साधनों अथवा सामग्री का दान समुचित सरकारी प्राधिकारी की लिखित अनुमति सहित अनुरोध पर अथवा इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। ऐसे साधनों अथवा सामग्री पर दानकर्ता कम्पनी का नाम अथवा शब्द चिन्ह हो सकता है, परन्तु उन पर इस संहिता के क्षेत्र में आने वाले किसी मालिकाना उत्पाद का संकेतन हो तथा उनका वितरण केवल स्वास्थ्य देखभाल पद्धति (हैल्थ केयर सिस्टम) के माध्यम से ही होना चाहिए।

अनुच्छेद-5

सामान्य जनता एवं माताएं

5.1 इस संहिता के क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पादों का कोई विज्ञापन अथवा सामान्य जनता में बढ़ावा देने का दूसरा तरीका नहीं होगा।

5.2 निर्माताओं तथा वितरकों को चाहिए कि वे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी को भी इस संहिता के क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पादों के नमूने प्रदान न करें।

5.3 इस अनुछेद के पैरा 1 तथा 2 के अनुरूप उपभोक्ता को खुदरा तौर पर, प्रत्यक्ष रूप से बिक्री के लिए अभिप्रेरित करने के लिए बिक्री के विज्ञापनों, नमूना वितरण अथवा अन्य प्रोत्साहक तरीकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए अर्थात इस संहिता के, कार्यक्षेत्र के भीतर खुदरा स्तर पर उत्पादों के लिए विशेष प्रदर्शन, रियायती कूपन, प्रीमियम, विशेष बिक्री, हानि सूचक एवं सम्बद्ध बिक्री नहीं की जानी चाहिए। इस उपबन्ध से दीर्घकालीन आधार पर, कम मूल्य पर उत्पाद करने के लिए मूल्य नीतियों एवं व्यवहारों की स्थापना पर प्रतिबन्ध नही लगाना चाहिए।

5.4 निर्माताओं तथा वितरकों को गर्भवती महिलाओं या शिशुओं की माताओं तथा छोटे बच्चो मे किन्ही भी ऐसी वस्तुओं अथवा बर्तनों के उपहारो का वितरण नहीं करना चाहिए जिनसे स्तनपान विकल्पों या दूध पिलाने वाली बोतलो को प्रोत्साहन मिले।

5.5 विपणन कार्मिक को अपनी व्यापारिक क्षमता में, गर्भवती महिलाओं या शिशुओं की माताओं तथा छोटे बच्चो के साथ किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं करना चाहिए।

अनुच्छेद–6

स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियां

6.1 देश के स्वास्थ्य प्राधिकारियों को इस संहिता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिये तथा स्तनपान के संरक्षण और इसको बढ़ावा देने के लिये उचित कदम उठाने चाहिए और अपने कर्त्तव्यों के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उपयुक्त जानकारी एवं सलाह देनी चाहिए जिसमें अनुच्छेद 4.2 में निर्दिष्ट जानकारी भी शामिल है।

6.2 इस संहिता के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी शिशु आहार अथवा अन्य उत्पाद को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिये स्वास्थ्य देखभाल पद्धति की किसी भी प्रकार की सुविधा का उपयोग नहीं किया जाएगा। तथापि यह संहिता, अनुच्छेद 7.2 में दिए अनुसार स्वास्थ्य व्यावसायियों के लिये सूचना के प्रसार को प्रतिबाधित नहीं करती।

6.3 इस संहिता के कार्यक्षेत्र में आने वाले उत्पादों के प्रदर्शन के लिए ऐसे उत्पादों से सम्बन्धित इश्तहारों या पोस्टरों के लिए अथवा अनुच्छेद 4.3 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर निर्माता या वितरक द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री के वितरण के लिये स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों की सुविधाओ का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

6.4 स्वास्थ्य देखभाल पद्धति द्वारा निर्माताओं अथवा वितरकों द्वारा लगाये गये अथवा उनके वेतनभोगी व्यवसायी सेवा प्रतिनिधियों, "माता शिल्प नर्सों" अथवा ऐसे अन्य कार्मिकों की सेवाओं के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6.5 शिशु-आहार सूत्र, चाहे घर में तैयार किया हो या बाहर, उसके खिलाने का प्रदर्शन केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ द्वारा, या यदि आवयक हो तो दूसरे सामुदायिक कार्यकर्ताओं द्वारा ही प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यह प्रदर्शन केवल उन माताओ या परिवार के सदस्यों के सामने ही किया जाना चाहिए जिन्हें इस के उपयोग की जरूरत हो तथा दी गई सूचना में अनुचित उपयोग के खतरों का उचित स्पष्टीकरण भी शामिल किया जाना चाहिए।

6.6 संस्थाओं अथवा संगठनों को इस संहिता के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत शिशु आहार सूत्र या दूसरे उत्पादों का दान या कम मूल्य पर विक्रय चाहे वह संस्थाओं के लिये हो या बाहर वितरण के लिये, कुपोषित बच्चों या दूसरे चिकित्सा कारणों अथवा उस शिशु माताओं के लिये जो अपना दूध नहीं पिला सकती और जो इस को खरीदने में असमर्थ हों, किया जा सकता है। यदि ये सामग्री संस्थाओं से बाहर उपयोग के लिये वितरित की जाती है तो वह केवल सम्बन्धित संस्थाओं अथवा संगठनों द्वारा ही की जानी चाहिए। ऐसे दान या

कम दामों पर बिक्री का उपयोग निर्माताओ अथवा वितरको द्वारा बिक्री प्रलोभन के रूप में यह नहीं किया जाना चाहिए ।

6.7 जहा कही इस सहिता के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत शिशु आहार सूत्र या दूसरे उत्पादों की प्रदान की गई सामग्री एक संस्था से बाहर वितरित की जाती है तो उस संस्था अथवा संगठन को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए कि सामग्री तब तक ही प्रदान की जाए जब तक कि सम्बन्धित शिशुओं को उस की जरूरत है । सम्बन्धित प्रदाताओं और संस्थाओं को इस उत्तरदायित्व को ध्यान में रखना चाहिए ।

6.8 अनुच्छेद 4.3 में उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त देखभाल पद्धति को प्रदान की गई उपकरण तथा सामग्री पर कम्पनी का नाम या शब्द चिन्ह हो सकता है लेकिन इस संहिता के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किसी मालिकाना उत्पाद का उल्लेख नही किया जाना चाहिए ।

अनुच्छेद–7

स्वास्थ्य कार्यकर्ता

7.1 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मां के स्तनपान को प्रोत्साहित करना चाहिए और जो कार्यकर्ता विशेष कर मातृक एवं शिशु पोषाहार से संबंधित है उन्हे अपने आप को इस संहिता के अंतर्गत अपने कर्तव्यों के साथ परिचित कराना चाहिए । इस में अनुच्छेद 4 2 में उल्लिखित सूचना भी शामिल होगी ।

7.2 इस संहिता के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले उत्पादों के सम्बन्ध में स्वास्थ्य व्यवसायों को निर्माताओं एवं वितरको द्वारा प्रदान की गई जानकारी वैज्ञानिक तथा वास्तविक मामलों तक सीमित कर दी जानी चाहिए और ऐसी जानकारी से न तो यह सूचना मिलनी चाहिए कि बोतल मे दूध पिलाना माता के दूध के समान है या उस से उत्तम है और न ही इन से ऐसा विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। इस में अनुच्छेद 4 2 में उल्लिखित की गई सूचना भी शामिल होगी ।

7.3 इस संहिता के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु निर्माताओं या वितरकों द्वारा न तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोई वित्तीय या सामग्री संबंधी प्रलोभन देने चाहिए और न ही प्रलोभन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं अथवा उन के परिवार के सदस्यों द्वारा स्वीकार किए जाने चाहिएं ।

7.4 इस संहिता के कार्यक्षेत्र में आने वाले उत्पादों के निर्माताओं अथवा वितरकों को प्राप्तकर्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सम्बन्धित संस्था की स्वास्थ्य कार्यकर्ता को दिए गए अथवा उस की ओर से "फैलोशिपस", अध्ययन दौरों, अनुसंधान अनुदानो, व्यावसायिक सम्मेलनों में उपस्थिति अथवा ऐसे ही अन्य प्रयोजनों के लिए दिए गए अंशदान के बारे में बताना चाहिए। इसी प्रकार की बातें प्राप्तकर्ता द्वारा भी प्रकट की जानी चाहिए ।

अनुच्छेद–8

निर्माताओं और वितरकों द्वारा नियोजित व्यक्ति

8.1 विपणन कार्मिकों के लिए बिक्री प्रोत्साहन की पद्धतियो मे इस संहिता के कार्यक्षेत्र मे आने वाले उत्पादों की बिक्री की मात्रा प्रोत्साहनो की गणना के लिए शामिल नही की जानी चाहिए और न ही विशेष तौर पर इन उत्पादो की बिक्री के ही लिए कोटे निर्धारित किए जाने चाहिए। इस का अभिप्राय यह नही है कि किसी कम्पनी द्वारा अन्य उत्पादों की कुल बिक्री पर आधारित प्रोत्साहनों के भुगतान पर अवरोध है।

8.2 इस संहिता के कार्यक्षेत्र में आने वाले उत्पादों के विपणन में नियोजित कार्मिको को गर्भवती महिलाओं अथवा शिशुओं की माताओं और छोटे बच्चों के सम्बन्ध मे शिक्षात्मक कार्यो का पालन अपनी कार्य जिम्मेदारियों के रूप में नही करना चाहिए। इस का अभिप्राय यह नही है कि सम्बंधित सरकार के समुचित प्राधिकारी के अनुरोध और लिखित अनुमोदन पर स्वास्थ्य देखभाल पद्धति द्वारा ऐसे कार्मिकों के अन्य कार्यो हेतु प्रयोग किए जाने पर अवरोध है।

अनुच्छेद–9

लेबल लगाना

9.1 लेबल इस प्रकार तैयार किए जाने चाहिए कि वे इन उत्पादो के सही प्रयोग के बारे में आवश्यक जानकारी दे सके और स्तनपान को निरुत्साहित न करे।

9 2 शिशु आहारो के निर्माताओं और वितरकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वयं प्रत्येक डब्बे पर एक उपयुक्त भाषा में स्पष्ट, सुप्रकट और आसानी से पढ़ा जा सकने वाला और समझ में आने वाला संदेश छपा हुआ हो अथवा यह संदेश एक ऐसे लेबल पर छपा हो जो आसानी से डब्बे से अलग न किया जा सके तथा उस संदेश में निम्नलिखित सभी बातें शामिल हों–

(क) "महत्वपूर्ण सूचना" शब्द अथवा इन के समकक्ष शब्द,

(ख) मां के दूध की श्रेष्ठता पर एक वक्तव्य,

(ग) इस आशय का एक वक्तव्य कि इस उत्पाद का प्रयोग इस के इस्तेमाल करने की आवश्यकता और इस्तेमाल करने की उपयुक्त विधि के बारे में किसी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह पर ही किया जाना चाहिए।

(घ) उपयुक्त रूप से तैयार करने के लिए अनुदेश और अनुचित रूप से तैयार करने से उत्पन्न स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे मे एक चेतावनी। न तो डिब्बे और लेबल पर शिशु का चित्र होना चाहिए और न ही ऐसे चित्र या पाठ को दिखाया जाना चाहिए जो कि शिशु-आहार सूत्र के प्रयोग को आदर्श रूप मे प्रस्तुत करता हो। तथापि, उन पर तैयार करने की विधि के लिए ग्राफों को दिखाया जा सकता है। "ह्युमेनाइज्ड", "मैटरनलाइज्ड" या समान शीर्षक वाले शब्दों का

प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उपर्युक्त शर्तों के अनुसार उत्पाद और इस के उचित प्रयोग के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले शब्दों को पैकेट या रिटेल यूनिट में सम्मिलित किया जा सकता है। जब लेबलों में किसी उत्पाद को शिशु-आहार सूत्र में आशोधन किए जाने के अनुदेश दिए जाते हैं तो उपर्युक्त स्थिति लागू होनी चाहिए।

9.3 इस संहिता के क्षेत्र के भीतर आने वाले खाद्य उत्पादों, जो कि शिशु आहार सूत्र की सभी जरुरतों की पूर्ति नहीं करते हैं, परन्तु जिन्हें ऐसा करने के लिए संशोधित किया जा सकता है, पर चेतावनी का एक लेबल लगाया जाए जिस में यह लिखा गया हो कि असंशोधित उत्पाद शिशु के पोषण का एक मात्र स्रोत नहीं होना चाहिए। चूंकि संघनित मीठा दूध शिशु को पिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है और न ही शिशु आहार सूत्र के मुख्य संघटक के रूप में प्रयोग के लिए है, इस के लेबल पर, उस प्रयोजन के लिए इस संशोधित किए जाने सम्बन्धी अभिप्रेत अनुदेश नहीं होने चाहिए।

9.4 इस संहिता के क्षेत्र के भीतर आने वाले आहार उत्पादों के लेबल में निम्नलिखित बातें भी बताई जानी चाहिए :—

(क) प्रयोग में लाए संघटक (ख) उत्पाद की संरचना/विश्लेषण,

(ग) सुरक्षित रखने के लिए अपेक्षित शर्तें और,

(घ) देश की जलवायु और सुरक्षित भण्डारण संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वह तारीख जिस से पहले ही उत्पाद को प्रयोग में लाया जाना है और उत्पाद की बैच संख्या।

अनुच्छेद—10

गुण

10.1 शिशुओं के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए उत्पादों का गुण एक अत्यावश्यक तत्व है, अतः यह एक उच्च मान्यता प्राप्त मानक के अनुरूप होना चाहिए।

10.2 इस संहिता की सीमा के भीतर आने वाले खाद्य उत्पादों को जब बेचा जाये या अन्यथा वितरित किया जाये तो उन्हें भारतीय मानक संस्थान के मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

अनुच्छेद—11

क्रियान्वयन और प्रबोधन

11.1 सरकार इस संहिता के सिद्धातों और उद्देश्यों की वैधानिक और अन्य उपयुक्त साधनों के माध्यम से कार्यान्वित करेगी। इस संहिता के सिद्धातों और उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए अपनाई गई राष्ट्रीय नीतियां और उपाय, जिन में कानुन सम्मिलित है, सर्वसाधारण को बतायें जायेगें और वे इस संहिता के क्षेत्र के भीतर आने वाले उत्पादों के उत्पादन और विपणन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों पर समान आधार पर लागू होंगे।

11.2 इस संहिता के क्षेत्र के भीतर आने वाले उत्पादों के उत्पादकों और वितरको और उपयुक्त गैर-सरकारी संगठनों, व्यावसायिक गुणों और उपभोक्ता संगठनों से इस संहिता के क्रियान्वयन में सरकार को सहयोग देने की अपेक्षा की जाती है।

11.3 इस संहिता के क्षेत्र के भीतर आने वाले उत्पादों के निर्माताओं और वितरकों को इस संहिता के क्रियान्वयन स्वतन्त्र रूप में किए गए किन्हीं अन्य उपायों के अतिरिक्त, स्वयं को ही इस बात के लिए उत्तरदायी समझना चाहिए कि वे अपने विपणन के तरीकों का प्रबोधन इस संहिता के सिद्धातों तथा उद्देश्य के अनुसार करें तथा प्रत्येक अवस्था में अपना आचार इन्हीं सिद्धातों तथा उद्देश्य के अनुरूप सुनिश्चित करें।

11.4 गैर-सरकारी संगठनों, व्यावसायिक गुणों, संस्थाओं और सम्बन्धित व्यक्तियों को चाहिए कि इस संहिता के सिद्धातों और उद्देश्य से असंगत गतिविधियों की ओर निर्माताओं और वितरकों का ध्यान आकृष्ट करें ताकि उपयुक्त कार्यवाही की जा सके। उपयुक्त शासकीय प्राधिकारी को भी सूचित करना चाहिए।

11.5 इस संहिता के क्षेत्र के भीतर आने वाले उत्पादों के निर्माताओं और प्रारम्भिक वितरकों द्वारा विपणन कार्मिकों के अपने प्रत्येक सदस्य को इस संहिता और इस के अन्तर्गत उन के उत्तरदायित्वों के बारे में बताना होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मधु सूदन दयाल,
संयुक्त सचिव

गृह मन्त्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1984

के नियम

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी 1983

सं० 9/3/83-के० से०-II—गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सन् 1984 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों (तथा उन अन्य सेवाओं/पदों के लिए, भी आयोग द्वारा परीक्षा के लिए आवेदन आमन्त्रित करने वाले विज्ञापन मे सम्मिलित किए जाएंगे) में अस्थाई रिक्तियों को भरने के लिए ली जाने वाली प्रतियोगितात्मक परिक्षाओं के नियम सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(1) भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-VI

(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा-ग्रेड-II

(3) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा—अवर श्रेणी ग्रेड

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा—अवर श्रेणी ग्रेड

(5) भारत के निर्वाचन आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद

(6) समदीय कार्य विभाग, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के पद

(7) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस दिल्ली के कार्यालय, में अवर श्रेणी लिपिक के पद

(8) केन्द्रीय सतर्कता आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद ।

उपरोक्त सेवाओं/पदों के लिए अधिमान आयोग द्वारा केवल उन्हीं उम्मीदवारों से आमन्त्रित किए जाएंगे जो टंकण परीक्षा में प्रविष्ट किए जाने के पात्र होंगे ।

2. परीक्षा के परिणाम पर भी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा समाचार-पत्रों में जारी किए गए विज्ञापन में निर्दिष्ट की जाएगी । भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण किया जाएगा ।

3. (1) भूतपूर्व सैनिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने संघ की सशस्त्र सेवाओं में, जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेना भी शामिल है किन्तु जिनके अन्तर्गत आसाम राइफल्स, सेना सुरक्षा और कोर, जनरल रिजर्व इन्जीनियरी बल, लोक सहायक सेना और प्रादेशिक सेना नहीं आते शपथ ग्रहण करने के पश्चात कम से कम छः मास की निरन्तर अवधि तक किसी रैंक में (चाहे योद्धा के रूप में या गैर-योद्धा के रूप में) की है, और

(क) जिसे उसके अपने अनुरोध पर या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति या बर्खास्तगी के कारण के अलावा अन्य किसी रूप में निर्मुक्त कर दिया गया है, अथवा ऐसी निर्मुक्ति तक के लिए रिजर्व को स्थानान्तरित कर दिया गया है, या

(ख) जिसे यथापूर्वोक्त निर्मुक्त या रिजर्व को स्थानातरित किए जाने के लिए हकदार बनने के लिए अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिए अधिक से अधिक छह मास सेवा करना है; या

(ग) जिसे संघ की सशस्त्र सेनाओं में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात उसके अपने ही अनुरोध पर निर्मुक्त कर दिया गया हो ।

(2) संविधान अनुसूचित जाति आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति) सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित) (संविधान) (जम्मू तथा काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान) (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान दादरा और नागर हवेली (अनुसूचित जन जाति) आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 संविधान (अनुसूचित जन जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान गोवा, दमन और दीव (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1968 तथा संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978 ।

(3) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति से अभिप्राय निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से सम्बद्ध व्यक्ति से है :—

(क) बहरे:—बहरे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति है जिनको जीवन के सामान्य प्रयोजन के लिए सुनने का बोध न हो, उच्च स्वर से साफ बोलने पर वे न तो बिलकुल सुन सकते हों, और न ध्वनि को समझ सकते हों, इस वर्ग में ऐसे मामले भी शामिल हैं जो ठीक कान (गम्भीर रूप से असमर्थ) 90 डेसीमल से अधिक नहीं सुन सकते हों अथवा दोनों कानों से पूर्ण रूप से नहीं सुन सकते हों ।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग:—शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे व्यक्ति है जिन्हें शारीरिक दोष हो अथवा अंग—विकृति हो जिससे कार्य करने में हड्डी, पेशियों तथा जोडों में सामान्य रूप से बाधा पैदा होती हो ।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट—1 में विहित विधि से किया जाएगा ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

4. यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थाई रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) ऐसा मूल भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत से स्थाई रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीका, देशों केन्या, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तांगानिका व जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से आया हो ।

(1) परन्तु ऊपर की श्रेणी (ख) (ग) और (घ) से सम्बन्धित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए ।

(2) परन्तु यह भी शर्त है कि ऊपर की श्रेणी (ख), (ग) तथा (घ) से सम्बन्धित उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख), ग्रेड-6 में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।

किसी ऐसे उम्मीदवार को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, परीक्षा से बैठने दिया जा सकता है, परन्तु उसे नियुक्ति पत्र तभी दिया जा सकता है जब उसे वह मंत्रालय/विभाग आवश्यक प्रमाण-पत्र दे दे जो उस पद से सम्बद्ध हो जहां उम्मीदवार की नियुक्ति की सम्भावना हो ।

5 (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी है कि पहली अगस्त, 1984 को उम्मीदवार की आयु पूरे 18 वर्ष की हो गई हो और पूरी 25 वर्ष की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म

2 अगस्त, 1959 से पहले और पहली अगस्त, 1966 के बाद न हुआ हो ।

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम छ महीने की निरन्तर सेवा की हो उनकी सशस्त्र सेना की कुल सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी ।

इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित अथवा अनारक्षित सभी रिक्तियों के लिए प्रतियोगी होने के हकदार होंगे ।

टिप्पणी :—उपरोक्त नियम 5 (ख) के प्रयोजन के लिए किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आवाहन पर सेवा (काल आफ सर्विस) की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी ।

(ग) इन सभी मामलों में ऊपरलिखित ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(3) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(4) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 को भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(6) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, युगांडा, तंजानिया, संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(7) यदि उम्मीदवार बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(8) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(9) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही और शांतिकाल दोनों के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों का अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(10) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के हों, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(11) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए सीमा-सुरक्षा बल के रक्षा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(12) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के हों, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक ।

(13) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलत / भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय प्रपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष तक ।

(14) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो अर्थात् जिसका कोई अंग विकृत है तो अधिक से अधिक 10 वर्ष। (अनुसूचित जातियों व जन जातियों के उन उम्मीदवारों के लिए, जो शारीरिक रूप से विकलांग भी हैं, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को मिलने वाली 10 वर्ष की आयु-छूट उन्हें खण्ड (1) के अन्तर्गत मिलने वाली आयु-छूट के अतिरिक्त होगी।) और

(15) ऐसी विधवाओं, तलाक शुदा महिलाओं और न्यायिक तौर पर अपने पतियों से अलग हुई महिलाओं के मामले में जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, 35 वर्ष की आयु (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति की महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक) ।

(घ) उक्त ऊपरी आयु-सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष तक की आयु की छूट दी जाएगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में तथा निर्वाचन आयोग के कार्यालयों में लिपिकों/सहायकों/सकलकों/भण्डार रक्षकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1-8-1984 को जिन्होंने लिपिकों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते आ रहे हैं ।

परन्तु यह भी शर्त है कि उक्त आयु की छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में (1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा और (2) भारतीय विदेश सेवा (ख) (3) रेलवे सचिवालय सेवा और (4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में लिपिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा उन व्यक्तियों को जो भूतपूर्व सैनिक हैं, और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित रिक्तियों के लिये परीक्षा में बैठ रहे हैं ।

(ङ) उक्त ऊपरी आयु-सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक के पदों पर नियुक्त हैं और 1-9-1984 को जिन्होंने हिन्दी लिपिकों/हिन्दी टंककों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते आ रहे हैं।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक केवल केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा मे रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता के पात्र होंगे।

(च) ऊपरी आयु सीमा में सैनिक-लिपिको को 45 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी जो सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में हैं अर्थात् उनका जो सेना से 2 अगस्त, 1984 से पहली अगस्त 1985 की अवधि में निवृत्त होने वाले है, ऐसे उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट उम्मीदवारों को केवल सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों में रिक्त स्थानो के लिये ही, जो भूतपूर्व सैनिको के लिये आरक्षित नहीं है, प्रतियोगिता के पात्र होंगे।

(छ) उन टेलीफोन आपरेटरों के लिये कोई ऊपरी आयु सीमा नही होगी, जो दिनांक पहली अगस्त, 1984 का विदेश मंत्रालय में नियुक्त होंगे और जिनकी नियुक्ति यथावत् जारी रहेगी।

(ज) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 1-7-1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/15/81—स्था० (घ) के अनुसार उन स्टाफ कार ड्राइवरो के लिये 35 वर्ष तक की ऊपरी आयु सीमा मे छूट दी गई है, जो अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिये शैक्षिक रूप से अर्हता रखते हो और जिन्होने उक्त ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो।

टिप्पणी :—1. डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल डाक छंटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 5(घ) के प्रयोजन के लिये लिपिक के ग्रेड में की गई मानी जाएगी।

टिप्पणी :—2—यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 5(घ), नियम 5 (ङ) और नियम 5 (क) मे उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा मे बैठने दिया गया हो और यदि आवेदन-पत्र देने के बाद परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, वह नौकरी से त्यागपत्र दे दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाएं, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, लेकिन यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छंटनी हो जाए तो वह पात्र बना रहेगा।

टिप्पणी :—3—किसी लिपिक का जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद (एक्स-कैडर-पोस्ट) पर प्रतिनियुक्ति हो, अन्य सब प्रकार से पात्र होने पर परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।

टिप्पणी :—4—विदेश मंत्रालय में भाग ले रहे कार्यालयों/विभागों में काम कर रहा कोई स्थाई अथवा अस्थाई टेलीफोन आपरेटर इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा परन्तु किसी टेलीफोन आपरेटर को परीक्षा पास करने के लिये दो से अधिक अवसर प्रदान नहीं किये जायेंगे। जो टेलीफोन आपरेटर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अन्य असंवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे यदि वे अन्यथा पात्र हों। यह उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो किसी अन्य असंवर्ग पद या स्थानांतरण पर किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है, यदि उस समय टेलीफोन आपरेटर के पद मैं उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है।

टिप्पणी :—5—जहां तक इस नियम की उप० श्रेणी (छ) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों का संबंध है, यह परीक्षा अर्हक होगी, प्रतियोगितात्मक नहीं उनको टंकण परीक्षा में नहीं बैठना होगा। जो इस परीक्षा का एक भाग है। उन्होंने पहले से टंकण परीक्षा पास नहीं कर रखी होगी तो उन्हे इस आयोग द्वारा ली गई कोई आवर्ती टंकण परीक्षा निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर पास करनी होगी यदि वे यह परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उन्हे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। जब तक कि वे कथित परीक्षा पास नहीं कर लेंगे। आयोग द्वारा सिफारिश किया गया टेलीफोन आपरेटर केवल भारतीय विदेश सेवा ख—ग्रेड VI में लिया जाएगा।

ऊपर बताई गई स्थितियो के अलावा निर्धारित आयु-सीमाओ मे किसी हालत मे छूट नहीं दी जा सकेगी।

6. भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक की परीक्षा अथवा माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय के अन्त में किसी राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या कोई अन्य प्रमाण-पत्र जो उस राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा सेवाओं में प्रवेश के लिये मैट्रिक प्रमाण पत्र के समकक्ष माना जाता हो वह परीक्षा उम्मीदवारों द्वारा अवश्य पास की होनी चाहिए।

टिप्पणी :—1—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसके पास करने से सह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से पात्र हो जाएगा परन्तु जिसका परिणाम उसे सूचित न किया गया हो तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का विचार कर रहा हो, वह आयोग की परीक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी :—2—कुछ विशिष्ट मामलो में, जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमो के अनुसार कोई उपाधि नहीं है केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त हो जो उस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिये यथोचित है।

7. (1) जिस व्यक्ति ने :—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह अनुबध किया है, जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने जीवित पति या पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति को विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार ऐसा विवाह स्वीकार है तथा ऐसा करने के अन्य कारण है और जब तक उसकी इस नियम से छूट न दे दे।

2. जिस व्यक्ति ने विदेशी राष्ट्रिक से विवाह किया है, वह भारतीय विदेश सेवा ख ग्रेड -VI की नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा।

8. जो उम्मीदवार पहले से स्थाई अस्थाई रूप मे सरकारी नौकरी मे हों, वह परीक्षा में बैठने के लिये सीधे आवेदन कर सकता है परन्तु उसे टंकण परीक्षा में बैठने की अनुमति से पहले अपने कार्यालय से एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र भेजना होगा।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमे कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे मे यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं

को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने की सम्भावना होगी।

टिप्पणी :—अशक्त भूतपूर्व रक्षा व्यक्तियों/कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के सैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड (डीयाबोलाइजेशन मेडिकल बोर्ड) द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिये पर्याप्त समझा जाएगा।

10. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

12. सशस्त्र सेना से निवृत्त भूतपूर्व सैनिक तथा जिन्हें आयोग के विज्ञापन के अन्तर्गत शुल्क में छूट दी गई है, को छोड़कर सभी उम्मीदवारों से निर्धारित शुल्क देना होगा।

13. यदि उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी के लिये किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का यत्न किया तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिये अयोग्य माना जा सकता है।

14. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो जबकि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छदम रूप में कार्य साधन कराया

(iv) है अथवा जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों को बिगाडा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोगी (क्रिमिनल प्रासीक्युशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए, अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिये,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, अथवा

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है यदि वह पहले से सरकारी नौकरी में हो,

15. परीक्षा के बाद उन उम्मीदवारों को जो टंकण परीक्षा में पास होंगे अथवा जिनको छूट मिल जाएगी लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर बने श्रेष्ठता-क्रम में रखा जाएगा अथवा उसी क्रम में जितने उम्मीदवार आयोग द्वारा परीक्षाओं में पास हुए पाए जाएंगे उनकी अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

लेकिन यह भी शर्तें है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए आयोग निर्धारित सामान्य स्तर में रिआयत देकर भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक स्थानों पर परीक्षा में उनके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान दिए बिना ही, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों।

आगे यह भी शर्तें हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए आयोग सामान्य स्तर में रिआयत देकर भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित स्थानों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक स्थानों पर, परीक्षा में उनके योग्यता क्रम पर ध्यान दिए बिना ही उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों।

16. परीक्षा-परिणाम के आधार पर नियुक्तियां करते समय किसी उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र देते समय विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताई गई प्राथमिकताओं का समुचित ध्यान रखा जाएगा।

17. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परीक्षा-फल के संबंध में उससे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

18. आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।

एच० जी० मण्डल,
अवर सचिव

परिशिष्ट-I

1. परीक्षा दो भागों में ली जाएगी अर्थात् भाग-I लिखित परीक्षा और भाग-II टंकण परीक्षा।

भाग I—लिखित परीक्षा—लिखित परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

पत्र सं०	विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1.	अंग्रेजी भाषा	150	1 1/2 घंटा
2.	सामान्य अध्ययन	150	1 1/2 घंटा

भाग II—टंकण परीक्षा—टंकण परीक्षा में लगातार टाइप करने की सामग्री (रनिंग मैटर) का एक 10 मिनट का पत्र होगा।

2. अंग्रेजी भाषा तक सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्र आबजैक्टिव टाइप के होंगे।

3. टंकण परीक्षा अर्थात् परीक्षा की योजना के भाग II में बैठने के लिए केवल वहीं उम्मीदवार पात्र होंगे जो लिखित परीक्षा में आयोग के विवेकानुसार निश्चित किया गया एक न्यूनतम मानक प्राप्त करेंगे।

4. परीक्षा के नियमों के नियम 15 के अनुसार केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए सिफारिश के पात्र होंगे जो अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिन्दी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा पास करेंगे।

(यह विदेश मंत्रालय में नियुक्त टेलीफोन आपरेटरों पर लागू नहीं होता)

टिप्पणी I—जिन उम्मीदवारों ने संघ लोक सेवा आयोग अथवा सचिवालय प्रशिक्षणशाला या सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान या अधीनस्थ सेवा

आयोग या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित टकण परीक्षा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से पहले ही पास कर ली हो उन्हें इस परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को पास की गई टकण परीक्षा में अपना रोल नम्बर तथा परीक्षा की तारीख बतानी चाहिए।

टिप्पणी—1 जो उम्मीदवार किसी शारीरिक अशक्तता के कारण टकण परीक्षा पास करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य होने का दावा करता है, उसे गृह मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग में केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से इस परीक्षा के देने और पास करने की शर्त से छूट दी जा सकती है बशर्ते कि ऐसे उम्मीदवार को जब टकण परीक्षा देने के लिए कहा जाए तो वह सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी अर्थात् सिविल सर्जन से निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र आयोग को प्रस्तुत करे जिसमें उसकी किसी शारीरिक अशक्तता के कारण टकण परीक्षा पास करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो।

5. उम्मीदवारों को टकण परीक्षा के लिए अपनी टाईप मशीन लानी होगी। स्टेन्डर्ड साईज के रोलर वाली मशीन टाईप के लिए काम दे सकेंगी।

6. उम्मीदवारों को छूट होगी कि टकण परीक्षा हिन्दी (देवनागरी) लिपि) में दें अथवा अंग्रेजी में।

7. टकण परीक्षा के उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) में देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना इरादा आवेदन पत्र में स्पष्टतः लिख देना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे टकण परीक्षा अंग्रेजी में देंगे। एक बार चुना हुआ विकल्प अन्तिम होगा और इसके परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध साधारणतः स्वीकार नहीं होगा। उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा के सिवाय किसी अन्य भाषा में टकण परीक्षा देने पर कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में दिया गया है।

9 उम्मीदवार को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10 आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

अनुसूची

भाग 1—लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का पाठ्यक्रम

1. अंग्रेजी भाषा तथा सामान्य ज्ञान —

(क) अंग्रेजी भाषा में प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे यह पता लगाया जा सके कि उम्मीदवार को अंग्रेजी व्याकरण शब्द भंडार वर्ण-विन्यास समानार्थक, विपरीतार्थक शब्दों का कितना ज्ञान है तथा अंग्रेजी भाषा के सही और गलत प्रयोग को समझने की शक्ति तथा उनमें विवेक करने की योग्यता कितनी है।

(ख) सामान्य ज्ञान :—

भारत का संविधान, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति, भारत का सामान्य एवं आर्थिक भूगोल, सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का अनुभव जिनकी किसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है। उम्मीदवार के उत्तर ऐसे होने चाहिए जिनसे यह पता चले कि उन्होंने प्रश्नों को बुद्धिमतापूर्वक समझ लिया है। तथा किसी पाठ्य पुस्तक का विस्तृत अध्ययन नहीं किया है।

परिशिष्ट—II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है।

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्नलिखित दो ग्रेड हैं :—

1 उच्च श्रेणी ग्रेड रु० 330—10—380—द० रो०—12—500—द० रो०—15—560।

2 अवर श्रेणी ग्रेड रु० 260—6—290—द० रो०—6—326—8—366—द० रो०—8—390—10—400।

2 अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्त व्यक्तियों को दो वर्ष तक की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाएगा। इस अवधि के दौरान वे सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और विभागीय परीक्षाएं पास करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर या परीक्षाएं पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति नौकरी से हटाया जा सकता है।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार परिवीक्षाधीन लिपिक की पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य या आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक रहा हो, उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा की अवधि जितना बढ़ाना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

4. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यकर्ता कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली भी हो सकती है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग ले रहे हों।

5 अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे। स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त किए गए अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक, जो सरकार द्वारा इस संबंध में यथानिर्दिष्ट निर्णायक तारीख को 5 वर्ष की अनुमोदित या निरन्तर सेवा अवधि पूरी कर चुकेंगे, वे उच्च श्रेणी लिपिक की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

6 अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित तारीख को कम से कम दो वर्ष अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा करने के बाद श्रेणी—"घ" के आशुलिपिकों की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्णायक तारीख को 50 वर्ष होनी चाहिए।

7 जिन लोगों की नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उनकी इच्छा के अनुसार की जाएगी, वे उन नियुक्ति के पश्चात भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड के सचिवालय लिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति की मांग ही कर सकेंगे।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय में नियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों की सेवा की शर्तें नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, आदि रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1970 से जो समय-समय पर बने हैं, संचालित होती हैं।

2 रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं :—

उच्च श्रेणी लिपिक—रु० 330—10—380—द० रो०—12—500—द० रो०—15—560।

अवर श्रेणी लिपिक—रु० 260—6—290—द० रो०—6—326—8—366—द० रो०—8—390—10—400।

3. सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड मे ही की जाती है। अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति दो साल के लिए परिवीक्षाधीन रहेगें और इस अवधि में उन्हें वैसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे और वैसी विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखलाने पर अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है।

4. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे। ऐसे स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिक, जो इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित निर्णायक तारीख को रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर चुके हों, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा की उच्च श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

5. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में सरकार द्वारा यथानिर्धारित निर्णायक तारीख को कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर चुकने के बाद, रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" के लिए ली जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने के पात्र होगे। इस परीक्षा के लिए उपरी आयु सीमा निर्णायक तारीख को 45 वर्ष है।

6. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक सीमित है। और उसके कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की भांति अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नही हो सकते है।

7. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के सदस्य जो इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए हैं :—

(1) पेंशन के लाभों के हकदार होंगे, और

(2) जब वे नौकरी में नियुक्त हुए हो, उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू और अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के नियमों के अधीन उस निधि में अंशदान करेंगे।

8. रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी अन्य रेलवे कर्मचारियों की भांति ही बराबर की मात्रा में प्रिविलेज पासों और टिकट आर्डरों के हकदार होंगे।

9. जहां तक छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल कर्मचारियों को, उसी प्रकार की सुविधाएं हैं। जैसी कि अन्य रेल कर्मचारियों को किन्तु चिकित्सा सुविधाएं है। उन्हें दूसरे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली है, के समान हैं। अनुबन्ध–II

ग–भारतीय विदेश सेवा (ख)–ग्रेड–VI

वेतनमान : रु० 260–6–290–द० रो० 6-326-द० रो०-8-390-10-400

भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड VI में नियुक्त किए गए अधिकारी, उक्त ग्रेड में आठ वर्षों की सेवा पूरी करने पर रु० 330–10–380–द० रो०–12–500–द० रो०–15–560 के वेतनमान में ग्रेड–V में पदोन्नति के लिए पात्र है।

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड–V अधिकारी उक्त ग्रेड में पांच वर्षों की सेवा पूरी करने पर रु० 425–15–500–द० रो०–15–560 –20–700–द० रो०–25–800 के वेतनमान में अपनी पारी पर उक्त सेवा के ग्रेड–IV में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

3. भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड–VI के अधिकारी, रु० 330–10–380–द० रो०–12–500–द० रो०–15–560 के वेतनमान में उक्त ग्रेड में अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी करने पर सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर सेवा के उप-संवर्ग में आशुलिपिकों के ग्रेड–III में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

4. ग्रेड–VI के ऐसे अधिकारी, जो स्नातक है, रु० 425–15–500–द० रो०–15–560–20–700–द० रो०–25–800 के वेतनमान मे, उक्त ग्रेड में अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी करने पर सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भा० वि० से० (ख) के उप-संवर्ग मे सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

5. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त किए गए उम्मीदवार या तो मुख्यालय पर भारत के किसी भी स्थान में अथवा विदेश में, जहां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा उन्हे तैनात किया जाता है, किसी पद पर सेवा करनी होगी।

6 विदेश सेवा के दौरान, भा० वि० से० (ख) के अधिकारियों को, उनके मूल वेतन के अतिरिक्त, उन दरों पर विदेश भत्ता मंजूर किया जाएगा जो संबंधित मुल्को के निर्वाह व्यय आदि के आधार पर समय-समय पर मंजूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम 1961 के अनुसार, जो भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों के लिए लागू है, विदेश सेवा के दौरान निम्नलिखित सुविधायें भी स्वीकार्य होंगी :—

(I) सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के आधार पर नि:शुल्क आवास।

(II) सहयोजित चिकित्सा परिचर्या योजना के अधीन चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं।

(III) भारत में किसी निकट संबंधी, जिसका निर्धारण सरकार करेगी, की मृत्यु अथवा गंभीर बीमारी जैसी संकटकालीन परिस्थितियों के लिए अधिकारी की सेवा के दौरान ड्यूटी स्थान से भारत में आने और वापस जाने संबंधी अधिकतम दो बार वापसी हवाई यात्रा व्यय।

(IV) कतिपय शर्तों पर, भारत में अध्ययन कर रहे 6 से 22 वर्ष की आयु वाले बच्चों को छुट्टी के दौरान अपने माता-पिता के पास जाने के लिए वार्षिक वापसी हवाई किराया।

(V) कतिपय शर्तों पर अधिकारी के विदेशों में तैनाती स्थान पर अध्ययन कर रहे 5 से 18 वर्ष की आयु के बीच वाले अधिकतम दो बच्चों के शिक्षा संबंधी व्यय को सरकार पूरा करती है।

(VI) उपस्कर भत्ता—रुपए 1,750/- विदेश में प्रति तैनाती।

(VII) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारी और उसके परिवार के लिए स्वदेश छुट्टी यात्रा व्यय।

सेवा में नियुक्ति, स्थायीकरण और वरिष्ठता संबंधी शर्तें भारतीय विदेश सेवा (ख) (भर्ती संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1964 की संगत उपबंधों और किन्ही अन्य नियमों अथवा आदेशो जिन्हें सरकार बाद में बनाए, द्वारा भी शासित होंगी।

(घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में निम्नलिखित ग्रेड है :—

उच्च श्रेणी ग्रेड :—रु० 330–10–380–द० रो०–12–500–द० रो०–15–560।

अवर श्रेणी ग्रेड :—रु० 260–6–290–द० रो०–6–326–8–366–द० रो०–8–390–10–400।

उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पद अवर श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते है। सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी ग्रेड में ही की जाती है।

2. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगे। यह अवधि सक्षम अधिकारी के विवेक पर बढाई जा सकती है। इस अवधि में असंतोषजनक सेवा रिकार्ड के परिणामस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से हटाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि में उन्हें समय-समय पर यथा-विहित प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है तथा परीक्षा भी पास करनी पड़ सकती है।

3. अवर श्रेणी लिपिक समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार पुष्टिकरण तथा पदोन्नति के पात्र होंगे।

4. मुख्यालय में भर्ती किए गए अवर श्रेणी लिपिक आमतौर पर दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेवा संगठनों के किसी कार्यालय में नियुक्त किए जाएंगे। किन्तु लोक हित में भारत में कहीं भी उनकी बदली की जा सकती है।

5. छुट्टी चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

(ङ) संसदीय मामलों का विभाग

इस विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों का वेतनमान रु० 260—6—290—द० रो०—326—8—366—द० रो०—8—390—10—400 है।

प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम चुनाव करके सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाएगा।

(च) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में निम्न श्रेणी लिपिक का वेतनमान रु० 260—6—290—द० रो०—6—326—8—366—द० रो०—8—390—10 है।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर पदों पर नियुक्त उम्मीदवार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन होंगे।

(छ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा निर्वाचन आयोग

1. आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद का वेतनमान रु० 260—6—290—द० रो०—6—326—8—366—द० रो०—8—390—10—400 है।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा निर्वाचन आयोग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पद के०म०लि० सेवा में शामिल नहीं है।

3. नियुक्त किए गए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन होंगे।

4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग में 5 वर्ष तथा निर्वाचन आयोग में 8 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात वे उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी, 1984

सं० 11013/1/83-आई० ई० एस०—निम्नलिखित सेवाओं में ग्रेड IV की रिक्तियों को भरने के लिए 1984 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(i) भारतीय अर्थ सेवा, और

(ii) भारतीय सांख्यिकी सेवा,

2. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियो की संख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारो के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा यथा निर्धारित रूप में किया जाएगा।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमो के परिशिष्ट-I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे

4. उम्मीदवार :—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा

अवश्य हो या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया था,

(ङ) कोई भारत मूलक व्यक्ति, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, उगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों, जांबिया मालावी, जेरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हो।

परन्तु (ख) (ग), (घ) और (ङ), वर्गों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजीबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो।

5. (क) उम्मीदवार के लिये आवश्यक है कि उसकी आयु 1 जनवरी, 1984 को 21 वर्ष पूरी हो किन्तु 28 वर्ष न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1956 से पहले और 1 जनवरी, 1963 के बाद नहीं हुआ हो।

टिप्पणी :— उम्मीदवार ध्यान दें कि 1985 में तथा उसके बाद आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिये उपर्युक्त उप-नियम (क) में निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा 26 वर्ष तक कम कर दी गई है।

(ख) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में छूट दी जाएगी :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बांगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जन जाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बांगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष।

(iv) यदि उम्मीदवार श्री लंका से वास्तविक या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो, और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का हो और श्रीलंका से वास्तविक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो, तथा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष।

(vi) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलत; भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो), है और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(vii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा भी उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपात काल का प्रमाण-पत्र हो और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 के बाद भारत आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक आठ वर्ष तक।

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष।

(ix) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और बर्मा से वास्तविक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांति ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(xi) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के हों, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(xii) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया, उगांडा और तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावीजेरे, और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(xiii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और भारत मूलक वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और कीनिया, उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रवासित हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से भारत मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(xiv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपा-त कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1984 को कम से कम 5 वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्य मुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1984 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ।

(xv) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों (आपात-कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित) ने 1 जनवरी, 1984 को कम से कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो कदाचार या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या अक्षमता के कारण कार्यमुक्त न होकर अन्य कारणों से कार्यकाल के समापन पर कार्य मुक्त हुए हैं (इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 जनवरी, 1984 से छः महीनों के अन्दर पूरा होना है) तथा जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के हैं उनके मामले में अधिक से अधिक दस वर्ष तक।

(xvi) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है जो पहली जनवरी, 1971 और 31 मार्च, 1973 की अवधि के दौरान भारत प्रव्रजन कर चुका था तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक ।

(xvii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी है जो पहली जनवरी, 1971 और 31 मार्च, 1973 की अवधि के दौरान भारत प्रव्रजन कर चुका था तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक ।

ऊपर दी गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती ।

6. भारतीय अर्थ सेवा के लिये उम्मीदवार के पास केन्द्र या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद् के अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्य किसी अन्य शिक्षा संस्थाओं की अर्थशास्त्र या सांख्यिकी विषय सहित डिग्री होनी चाहिए और भारतीय सांख्यिकी सेवा के लिए उम्मीदवारों के पास सांख्यिकीय या गणित या अर्थशास्त्र सहित डिग्री अथवा उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए ।

टिप्पणी I यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है किन्तु अभी उसे परीक्षा परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है । जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है । यदि ऐसे उम्मीदवार अन्य शर्तें पूरी करते हों, तो उन्हें इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा । परन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अनन्तिम मानी जाएगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में 1 अक्तूबर, 1984 तक प्रस्तुत नहीं करते हों तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी II विशेष परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश के योग्य माना जा सकता है जिसके पास पूर्वोक्त योग्यताओं में से कोई भी योग्यता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित कोई ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, जिनके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे ।

टिप्पणी III यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा अर्हता प्राप्त हो, किन्तु उसने किसी विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग यदि उचित समझे तो उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

7. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के पैरा 6 में निर्धारित फीस अवश्य देनी होगी ।

8. सभी उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्य-प्रभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं अथवा जो सरकारी उद्यमों में कार्यरत हैं उन्हें यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है ।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

9. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

10. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो ।

11. जिस उम्मीदवार ने

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया हो, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से परीक्षा दिलाई है अथवा

(iv) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों में फेरबदल किया गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में उम्मीदवारी के सम्बन्ध में किसी अन्य अनियमित, अथवा अनुचित उपाय का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो अथवा

(xi) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा

(xii) पूर्वोक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने या करने के लिए अवप्रेरित करने का प्रयास किया हो,

तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे —

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन में

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से अपवर्जित किया जा सकता है, और

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक —

(i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और

(ii) उम्मीदवार द्वारा अनुज्ञात समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

12 जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करेगा उसे आयोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाएगा।

किन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकेंगे तो आयोग द्वारा स्तर में ढील देकर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है।

13 परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, योग्यता क्रम में उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों का आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा उनकी इन रिक्तियों पर नियुक्ति करने के लिए अनुशंसा की जाएगी। उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर जितनी अनारक्षित रिक्तियां को भरने का निर्णय किया जाता है ये नियुक्तियां उनको देखकर होंगी।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं लिए जा सकते हों तो उनके आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो, नियुक्ति के लिए उनकी अनुशंसा की जा सकेगी, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इस सेवा पर नियुक्ति के उपयुक्त हों।

14 प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा, आयोग परीक्षा-फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा।

15 यदि कोई उम्मीदवार दोनों सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहा हो तो उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन-पत्र देते समय व्यक्त किए गए वरीयता क्रम पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।

जिन सेवाओं के लिए उम्मीदवार विचार किए जाने के इच्छुक थे न सेवाओं के लिए उनके द्वारा दर्शाए गए वरीयता क्रम में परिवर्तन से सबद्ध किसी भी अनुरोध को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणामों की "रोजगार समाचार" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता।

16. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है।

17. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे सम्बन्धित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्य को कुशलतापूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निर्धारित डाक्टरी परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया जाए कि वह इन अपेक्षाओं को पूरी नहीं कर सकता है तो नियुक्ति नहीं की जाए। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा करायी जा सकती है।

टिप्पणी —कहीं निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवार की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट III में दिए गए हैं। रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त हुए सैनिकों को सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी।

18. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पहले जीवित पति/पत्नी हो, या

(ख) जीवित पति/पत्नी के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, तो वह उक्त सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

19 इस परीक्षा के माध्यम से जिन सेवाओ के सम्बन्ध म भर्ती की जा रही है उनका सक्षिप्त विवरण परिशिष्ट II मे दिया गया है।

पी जी० लेले, निदेशक (ई० एस०)

परिशिष्ट I

यह परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार सचालित होगी।

भाग I—नीचे दिखाए गए विषयो में एक लिखित परीक्षा जिसके पूर्णाक 900 होगे।

भाग II—आयोग द्वारा जिन उम्मीदवारो को बुलाया जाता है, उनके लिए मौखिक परीक्षा इस परिशिष्ट की अनुसूची का भाग (क) देखिए जिसके पूर्णाक 250 होगे।

2 भाग I के अन्तर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्र के लिए निर्धारित पूर्णांक और समय का विवरण इस प्रकार है :—

क्रम स०	विषय	कोड स०	अधिकतम अंक	दिया गया समय
1	2	3	4	5
क. भारतीय अर्थ सेवा				
1.	सामान्य अंग्रेजी	01	150	3 घंटे
2.	सामान्य अध्ययन	02	150	3 घंटे
3	सामान्य अर्थशास्त्र-I		200	
	भाग-I	03	भाग-I 1 घंटा	3 घंटे
	भाग-II	04	भाग-II 2 घंटे	
4	सामान्य अर्थशास्त्र-II		200	
	भाग-I	05	भाग-I 1 घंटा 2 घंटे	3 घंटे
	भाग-II	06	भाग-II 2 घंटे	
5	भारतीय अर्थशास्त्र		200	
	भाग-I	07	भाग-I 1 घंटा 2 घंटे	3 घंटे
	भाग-II	08	भाग-II	

विशेष ध्यान: उपर्युक्त क्रम स० 3 से 5 तक के विषयो के प्रश्न पत्रो के मामले में यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर परीक्षा भवन से नही पहुचता है और प्रश्न-पत्र के भाग I की परीक्षा में प्रवेश नही ले पाता है तो वह उक्त प्रश्न-पत्र के भाग II से प्रवेश का पात्र नही होगा।

(ख) भारतीय साख्यिकी सेवा			
1. सामान्य अंग्रेजी	01	150	3 घंटे
2 सामान्य अध्ययन	02	150	3 घंटे
3. साख्यिकी I	09	200	3 घंटे
4. साख्यिकी II	10	200	3 घंटे
5. साख्यिकी III	11	200	3 घंटे

नोट I—सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन विषयो पर प्रश्न-पत्र में केवल वस्तुपूरक प्रश्न पूछे जाएगे।

नोट II—भारतीय अर्थ सेवा के उपर्युक्त क्रमाक 3 से 5 के विषयो से सबधित प्रश्न-पत्र के भाग I मे केवल वस्तुपूरक प्रश्न पूछे जाएगे और इन विषयो के प्रश्न-पत्रो के भाग II में सक्षिप्त उत्तर और निबध वाले प्रश्न पूछे जाएगे।

नोट III—भारतीय साख्यिकी सेवा के क्रमाक 3 से 4 विषयो के प्रश्न-पत्रो में केवल वस्तुपूरक प्रश्न पूछे जाएगे और क्रमाक 5 से सबधित प्रश्न-पत्र मे निबन्ध वाला प्रश्न पूछा जाएगा।

नोट IV अन्य विवरण के लिए, जिसमें विभिन्न विषयो के प्रश्न-पत्रो में पूछे जाने वाले वस्तुपूरक प्रश्न भी शामिल है, नोटिस के अनुबध II पर उम्मीदवारो की सूचनार्थ विवरणिका देखिए।

नोट V उपर्युक्त विषयो के स्तर और पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग 'क' में दिए गए हैं।

3 सभी प्रश्न-पत्रो के उत्तर अंग्रेजी में लिखने चाहिए।

4 उम्मीदवारो को प्रश्न-पत्रो के उत्तर अपने हाथ से लिखने होगे। उन्हे किसी भी हालत से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नही दी जाएगी।

5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अहक अक निर्धारित कर सकता है।

6 यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढने लायक न हो तो उसको मिलने वाले कुछ अको में से कुछ काट लिए जाएगे।

7 केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अक नही दिए जाएगे।

8 कम से कम शब्दो में सुव्यवस्थित, प्रभावशाली और सही ढग से की गई अभिव्यजना को श्रेय दिया जाएगा।

9 प्रश्न-पत्रों में जहा आवश्यक हो तोलो और मापो की केवल मीट्रिक प्रणाली से सबधित प्रश्न पूछे जाएगें।

10 उम्मीदवारो को परपरागत (निबन्धात्मक) प्रकार के प्रश्न-पत्रो के लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है। परीक्षा भवन में किसी से कलकुलेटर मागने या आपस म बदलने की अनुमति नहीं है।

यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपूरक प्रश्न-पत्र (परीक्षण पुस्तिका) का उत्तर देने के लिए कैलकुलेटरो का प्रयोग नही कर सकते। अत वे इन्हें परीक्षा भवन में न लाए।

11. उम्मीदवारो को प्रश्न पत्रो के उत्तर लिखते समय भारतीय अको के अतर्राष्ट्रीय रूप (अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि) का ही प्रयोग करना चाहिए

अनुसूचित भाग 'क'

सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट से अपेक्षित स्तर के होगे। अन्य विषयो के प्रश्न-पत्र सबधित विषयो में किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री परीक्षा के समकक्ष होगे। उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सिद्धात को तथ्यो के आधार पर स्पष्ट करे और सिद्धान्त की सहायता से समस्याओ का विश्लेषण करे। अर्थशास्त्र और साख्यिकी के क्षेत्र (क्षेत्रो) में उनसे आशा की जाती है कि वे भारतीय समस्याओं से विशेष रूप से परिचित हो।

सामान्य अंग्रेजी (कोड स० 1)

प्रश्न इस प्रकार पूछे जाएगे जिससे उम्मीदवारो को अंग्रेजी समझने और अंग्रेजी शब्दो का कुशल प्रयोग करने की क्षमता की जाच हो सके

सामान्य अध्ययन (कोड स० 02)

सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र में वर्तमान घटनाक्रम की जानकारी शामिल होगी और कुछ ऐसे मामले भी होगे जो दैनिक निरीक्षण और अनुभव से सबधित है और जिनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक पढा-लिखा आदमी समझ सकता है। इस प्रश्न-पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से सबधित प्रश्न भी होगे जिनका स्तर उत्तर विशेष अध्ययन के बिना ही उम्मीदवार दे सके।

सामान्य अर्थशास्त्र I (भाग I के लिए कोड स० 03 और भाग II के लिए 04)

उपभोक्ता की माग का सिद्धान्त तटस्था वक्र, विश्लेषण, प्रकट अधिमानता अभिगम।

उत्पादन का सिद्धान्त उत्पादन के तत्व, उत्पादन कृत्य, प्रतिफल के नियम, प्रतिष्ठान और उद्योग का संतुलन।

मूल्य का सिद्धान्त: विपणन व्यवस्था के विभिन्न रूपों में मूल्य निर्धारण सार्वजनिक उपयोगिता मूल्यन।

वितरण का सिद्धान्त: उत्पादन के तत्वों का मूल्यन, भाड़ा, मजदूरी, ब्याज और लाभ के सिद्धान्त, विशाल वितरण सिद्धान्त, संकलन समस्या आय वितरण में असमानताएं।

कल्याण मूलक अर्थशास्त्र: प्राचीन और नवीन कल्याणमूलक अर्थ-शास्त्र, क्षतिपूर्ति, नियम, नीतिमूलक ग्रंथियां –

राष्ट्रीय आय की अवधारणा: सामाजिक लेखा, नियोजन का सिद्धान्त निपिज और मुद्रास्फीति, शास्त्रीय और नवशास्त्रीय अभिगम नियोजन के बारे में कीन्स का सिद्धान्त और कीन्स के बाद की गतिविधियां।

सामान्य अर्थशास्त्र II (भाग I के लिए कोड सं० 05 और भाग II के लिए 06)

आर्थिक विकास की अवधारणा और उसका मापन-विकास के सिद्धान्त विकासशील देशों के लक्षण और उनकी समस्याएं। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास।

आयोजन: अवधारणा और पद्धतियां:– आर्थिक संगठन की पूंजी-वादी और समाजवादी प्रणालियों के अन्तर्गत आयोजन मिश्रित अर्थ व्यवस्था में आयोजन, परिदृश्यात्मक आयोजन, क्षेत्रीय आयोजन, निवेश के निर्धारण और प्रविधियों का चयन।

अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र: अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धात, व्यापार से लाभ, व्यापार की शर्तें व्यापार नीति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास व्यापार शुल्क पद्धति के सिद्धान्त।

भुगतान संतुलन: भुगतान संतुलन में असमानताएं समंजन की प्रक्रिया विदेश व्यापार, विनियम की दरें, आयात और विनिमय नियंत्रक।

आई० एम० एफ० और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रण सुधार: जी० ए०टी० टी० आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता, आई० बी० आर० डी० और उसके अनुबन्ध।

मुद्रा: उसका मूल्य और प्रयोजन, मुद्रा नीति, केन्द्रीय और वाणिज्यिक बकों के कार्य।

राजवित्तीय नीति और उसके लक्ष्य:– कराधान और व्यय के सिद्धान्त सार्वजनिक व्यय के लक्ष्य और परिणाम, कराधान का प्रभाव, और घटन-घाटे की वित्त व्यवस्था, सार्वजनिक ऋण का सिद्धान्त।

अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग, सांख्यिकीय ओमतें और विचलन के माप मूल्यों और परिणामों के सूचकांक उनकी सीमाएं।

भारतीय अर्थशास्त्र (भाग I के लिए कोड सं० 07 और भाग II के लिए 08)

भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी लक्षण-विकास तंत्र-कृषि और-उद्योग की भूमिका-विदेश व्यापार की भूमिका-सतुलित विकास की अव-धारणा।

आयोजन: उद्देश्य, प्राथमिकताएं और समस्याएं--पंचवर्षीय योजनाएं--साधन सपादन की समस्या।

कृषि: नया कृषि तंत्र-- भसवध और भू सुधार--देहाती साख--सिचाई और उर्वरकों का स्थान--कृषि विपणन--कृषि उत्पादों के मूल्य--फसल आयोजन--सामुदायिक विकास--उपजीविका और ग्रामोद्योग।

सहकारिता: ग्रामीण विकास में इसका स्थान--भारत मे सहकारी आंदोलन का विकास।

उद्योग: औद्योगिक विकास का व्यूह-स्थल निर्देश की समस्या-वृहयाकार और लघु उद्योगों की समस्याएं--औद्योगिक नीति--औद्योगिक संपदाएं--औद्योगिक वित्त के संमाधन--विदेशी पूजी की भूमिका--सार्वजनिक उद्यम: संगठन, प्रबन्ध नियंत्रण और समर्थ नीयता, मूल्य नीति।

श्रम: रोजगारी, बेरोजगारी और कम रोजगारी--औद्योगिक संबध और श्रम कल्याण--श्रम नीति--मजदूरी, मूल्य और आय नीति।

विदेशी व्यापार: भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं--विदेशी व्यापार नीति--राज्य व्यापार--भुगतान सन्तुलन।

मुद्रा और बैंकिंग: भारतीय मुद्रा विपणन का संगठन--वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंकों की कार्यप्रणाली--मुद्रा नीति।

सार्वजनिक वित्त: वित्तीय नीति--सार्वजनिक व्यय की वृद्धि--कराधान नीति--संघ और राज्य सरकारों के लिए राजस्व के प्रमुख स्रोत-सार्वजनिक ऋण नीति--घाटे की वित्त व्यवस्था--संघ और राज्य के बीच वित्तीय संबंध।

सांख्यिकी--1 (कोड सं० 09)

नोट: केवल वस्तुपरक (बहुविकल्पक) प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।

प्रायिकता (40 प्रतिशत प्रधानता) माप सिद्धान्त के तत्व--प्रसिद्ध परि-भाषाएं और स्वयं सिद्ध अभिगम--प्रतिदर्श अवकाश संकुल और सकलित प्रायि-कता के नियम--घटनाओं में से घटनाओं की प्रायिकता-प्रतिबंधित प्रायिकता--बेयर्स का प्रमेय--असंयोगिता विचरण-- विरल और अविरल--वितरण कार्य--मानक प्रायिकता वितरण--बरनौली, समरूप, द्विपदीय, पाइसन, ज्यामितीय, आयत, घातीय सामान्य, काची, पराज्याह मितीय, बहुपदीय, लाप्लेस, ऋणद्विपीयी, बीटा, गामा, लघुसामान्य तथा संकलित पाइसन वितरण-अभिसरण, वितरण में, प्रायिकता में और प्रायिकता एक के साथ और माध्य वर्ग में--आगूर्नन और संचायक-गणितीय अपेक्षा और प्रतिबंध अपेक्षा--लक्षणात्मक फलन और आघूर्ण तथा प्रायिकता जनक फलन-- विलोम विलक्षणता और सातत्य सिद्धांत--टेकेवाइचेक और कोलमोगोरोव असमानताएं--बृहत संख्या नियम और स्वतं विचरणों के लिए केन्द्रीय सीमा सिद्धांत।

सांख्यिकीय पद्धतियां (45 प्रतिशत प्रधानता)

तथ्यों का संग्रह, संकलन और प्रस्तुतीकरण--चार्ट, डायग्राम और हिस्टो-ग्राम--आवृत्ति वितरण--निर्देशन, विक्षपण और विषमता का माप द्विचर और बहुचर तथ्य--साहचय और आसंग--वक्र समजन और लांबिक बहुपद--द्विचर वितरण--द्विचर सामान्य वितरण--समाश्रयण, रेखीय बहुपदीय--सहसंबध गुणांक का वितरण--आंशिक और बहुल सहसंबंध अन्तर्गीय सहसंबध-- सहसंबंध अनुपात।

मानक त्रुटियां और बृहत प्रतिदर्श--परीक्षण प्रतिदर्श वितरण--x, s, t, x, वर्ग और--एफ--इन पर आधारित प्रमुखता परीक्षण--गैर परामित्तीय परीक्षण--साइन, मीडियम, रन, विलकाक्सन, मनविटनी, बाल्ड बुल्फोविड्ज आदि--वरीयता श्रम साख्यिकी--अल्पतम, अधिकतम, रेंज और मीडियम।

आकड़ा का विश्लेषण (15 प्रतिशत प्रधानता)

लाग रेंज, न्यूटन-ग्रेगरी न्यूटन (विभाजित अंतर), गास और स्टलिंग पर प्रचलित अक्षार्वेशन सूत्र (शेष संभावना सहित),--यूलर मस्लारिन का-संकलन सूत्र--विलोम अन्तर्वेशन-आंकडों का समाकलन गौर अवकलन-प्रथम गुणांक का विभेद समीकरण--स्थिर गुणकों के साथ एक घातीय विभेद समीकरण--

साख्यिकी--II (कोड स० 10)

नोट:--केवल वस्तुपरक (बहु विकल्पक) प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।

एकाघातीय प्रतिमान (25 प्रतिशत प्रधानता)।

एक घातीय आकलन का सिद्धांत-- गास मार्कोफ प्रतिष्ठान--कनिष्ठ वर्ग आकलन--जी--विलोम का प्रयोग--एक तरफा और दो तरफा वर्गीकृत तथ्य का विश्लेषण--निश्चित, मिश्रित और यादृटच्छिक प्रभाव वाले प्रतिमान--समाश्रयण गुणकों के लिए परीक्षण--

आकलन (25 प्रतिशत प्रधानता)

अच्छे आकलन के लक्षण--अत्यधिक संभावना, कनिष्ठ ची वर्ग आघूर्ण और कनिष्ठ वर्गों की आकलन पद्धतियां--अत्यधिक संभावना आकलन--क्रेमर राव असमानता--भट्टाचार्य परिसीमाएं--पर्याप्त आकलन गुणन खडन प्रमेय--संपूर्ण आंकड़े--राव--ब्लैकावेल प्रमेय--विश्वास अंतकाल आकलन--इष्टतम विश्वास परिसीमाएं।

परिकल्पना परीक्षण (25 प्रतिशत प्रधानता)

सरल और जटिल परिकल्पना-दो प्रकार की त्रुटियां---क्रांतिक क्षेत्र---विभिन्न प्रकार के क्रांतिक क्षेत्र और सरूप क्षेत्र---धातु फलन---अत्यन्त प्रभावशाली और समान रूप से अत्यन्त प्रभावशाली परीक्षण---नेमन, परिसन आधारभूत---अनभिनत परीक्षण---स्थालीपु लाक परीक्षण---संभावना अनुपात परीक्षण---वाल्ड का SPRT---OC---औरASNफलन---निर्णय के प्राथमिक तत्व और खेल सिद्धान्त।

बहुचर विश्लेषण (25 प्रतिशत प्रधानता)

बहुचर सामान्य वितरण---माध्य प्रमारक का आकलन और सहचारिता व्यूह---होटलिंग का T_2 स्थनिक---महलनाबिस का D_2 स्थतिक---बहुचर सामान्य जनसंख्या के प्रतिदर्श में आंशिक और बहुल सहसंबंध गणांक---विशाष का वितरण, उसका प्रतिरूपणात्मक और अन्य स्वभाव---विल्क का निष्कर्ष---विवेचनात्मक फलन---प्रमुखघटक---नियमानुकलन विचर और सहसंबंध---

सांख्यिकी---III (कोड सं० 11)

नोट :---केवल निबंध शैली के प्रश्न पूछे जाएंगे जिन में सुदीर्घ और जटिल निरूपण आवश्यक न हों।

भाग 'क' (सब के लिए अनिवार्य)

प्रतिदर्श प्रविधियां (35 प्रतिशत प्रधानता)

जनगणना बनामा प्रतिदर्श सवक्षण---प्रारंभिक और विस्तृत प्रतिदर्श सवक्षण---प्रतिस्थापन के साथ या उसके बिना सरल या दैन्चिछक प्रति चयन और प्रतिदर्शों आवंटन---लागत और विचरण फलन---आकलन की आनुपातिक और समाश्रयी पद्धतियां---आकार के समानुपात में प्रायिकता सहित प्रतिचयन---संकुल, दुहरा, बहुरूपी, बहुस्तरीय और व्यवस्थित प्रतिचयन---अंत, प्रद्येशी उप प्रतिचयन---प्रतिचयनेत्तर त्रुटियां।

अर्थ साख्यिकी (25 प्रतिशत प्रधानता)

रायम श्रेणी के घटक---उनके निर्धारण की विधियां---विचरण विभेद पद्धति---थूल, स्लस्की, प्रभाव- सहसंबंध चित्र---प्रथम और द्वितीय क्रम के स्वयं समाश्रमयी प्रतिदर्श---समावधि चित्र का विश्लेपण---मूल्यों और परिणामों के सूचकांक और उनके सापेक्ष गुण---थोक और खुदरा मूल्यों के सूचकांक की रचना---आय वितरण---पैरिटों और इंगेल वक्र---एकाग्रता वक्र---राष्ट्रीय आय का आकंलन करने की पद्धतियां---खंडातर प्रवाह---अन्तरौद्योगिक तालिका।

भाग (ख)

(उम्मीदवार निम्नांकित विषयों में से किसी भी विषय पर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं)।

(i) सांख्यिकीय गुण नियंत्रण और परिचालन अनुसंधान (40 प्रतिशत प्रधानता)।

विचरों और गुणों के लिए विभिन्न प्रकार के नियंत्रक चित्र---गुणों के द्वारा स्वीकृति प्रतिचयन---एकल, द्वंद्व, बहुल और श्रृंखलामूलक प्रति-चयन योजनाएं-

OC और ASN ---फलन--- AOQL और ATI की धारणा---विचर के द्वारा स्वीकृति प्रतिचयन---डाडज रोमिक और अन्य तालिकाओं का प्रयोग।

परिचालन अनुसंधान का अभिगम---रेखांगत कार्यपतन के प्राथमिक तत्व---सिप्लेक्स प्रक्रिया---परिवहन और नियोजन समस्याएं---द्वंद्वात्मकता का नियम---एकल और बहुल आवधिक सूची नियंत्रण के नमूने विश्लेषण रेखा प्रतिदर्श के लक्षण---$M/MABL_1$ M/M/C नमूने आम नकली की समस्याएं---नष्ट या क्षीण होने वाले तत्वों के प्रतिस्थापन के नमूने।

(ii) जनांकिकी और जन्म-मरण आंकड़े (40 प्रतिशत प्रधानता)

जीवन-तालिका, उसका निर्माण और लक्षण---मेकहम और गामपर्ट्स वक्र---राष्ट्रीय जीवन [illegible] तालिकाओं के नमूने---संक्षिप्त जीवन तालिकाएं---स्थिर और स्थायी जनसंख्या---विभिन्न जन्म गतियां---कुल प्रजनन गतियां---कुल और निवल उत्पादन गतियां--- विभिन्न मरण गतियां---मानकीकृत मरण गति---आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन---निवल प्रव्रजन अंतर्राष्ट्रीय और जनगणनोत्तर आकलन---वृद्धि,घाती वक्र संमजन सहित प्रक्षेपण विधियां---भारत में दशाब्दीय जनगणन।

(iii) प्रयोग रूप कल्पना और विश्लेषण (40 प्रतिशत प्रधानता)

प्रयोग रूप कल्पना के नियम---पूर्णरूप से या दृच्छिक बनाए गए यादृच्छिक खंड और रैटिन चौक अभिकल्पों का विन्यास और विश्लेषण---क्रमगुणित प्रयोग और 2^3 और 3^3 प्रयोगों में संभ्रम---खंड और उपखंड अभिकल्प---संतुलित और अर्द्ध संतुलित अपूर्ण वर्ग अभिकल्पों की रचना और विश्लेषण---सहचारिता का विश्लेषण---लांबिकेतर तथ्यों का विश्लेषण-लुप्त और मिश्रित व्यूह के तथ्यों का विश्लेषण।

(iv) अर्थमीति (40 प्रतिशत प्रधानता)

उपभोक्ता मांग का सिद्धांत और विश्लेषण---मांग फलन का विशिष्टीकरण और आकलन---मांग की लोच---संरचना और नमूना---एकल समीकरण शैली में प्राचलों का आकलन---परंपरागत अल्पमत वर्ग, साधारणीकृत अल्पतम वर्ग---विप्रदेयता, क्रमांगत सहसंबंध---बहुल समरेखीयता---विचार प्रतिदर्श में त्रुटियां---समकालिक समीकरण प्रतिदर्श---तदात्मकता, वरीयता क्रम और क्रमण परिस्थितियां---परीक्षा अल्पतम वर्ग और दो स्तरीय अल्पतम वर्ग---अल्पकालिक आर्थिक भविष्य कथन।

भाग ख

मौखिक परीक्षा

उम्मीदवारों को साक्षात्कार सुयोग्य और निष्पक्ष विद्वानों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिनके सामने उम्मीदवार का सर्वांगीण जीवनवृत्त होगा। साक्षात्कार का उद्देश्य यह है कि इस सेवा के लिए व्यक्ति की दृष्टि से उम्मीदवार उपयुक्त है अथवा नहीं। उम्मीदवारों से आशा की जाएगी कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही सूझ-बूझ के साथ रुचि न लेते हों, अपितु उन घटनाओं में भी रुचि लेते हों, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही है तथा आधुनिक विचारधाराओं और उन नई खोजों में रुचि लें, जिनके प्रति एक सुशिक्षित व्यक्ति में जिज्ञासा उत्पन्न होती है।

साक्षात्कार महज जिरह की प्रक्रिया नहीं, अपितु स्वाभाविक निदेशन और प्रयोजन मुक्त वार्तालाप की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य उम्मीदवारों के मानसिक गुणों और समस्याओं को समझने की व्यक्ति को अभिव्यक्त करना है। बोर्ड द्वारा उम्मीदवारों को मानसिक सतर्कता, आलोचात्मक ग्रहण शक्ति, संतुलित निर्णय और मानसिक सतर्कता, सामाजिक संगठन को योग्यता, चारित्रिक ईमानदारी, नेतृत्व की पहल और क्षमता के मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाएगा।

परिशिष्ट---II

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है, उनका संक्षिप्त ब्यौरा :

1. जो उम्मीदवार दोनों में से किसी भी सेवा के लिए सफल होंगे, उनकी नियुक्ति उस सेवा के ग्रेड IV में परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी, और इस अवधि को घटाया भी जा सकता है। सफल उम्मीदवारों की परिवीक्षा की अवधि में भारत सरकार के निर्णयानुसार निर्धारित प्रशिक्षण या पाठ्यक्रम और शिक्षण तथा परीक्षा पास करनी होगी।

2. यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है।

3.परिवीक्षा की अवधि या उसकी बढ़ाई हुई अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है तो सरकार उसे सेवा मुक्त कर सकती है।

4. यदि सरकार की राय में उम्मीदवार ने संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है, और यदि वह स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए तो उसे स्थायी प दों में मौलिक रिक्तियां उपलब्ध होने पर पक्का कर दिया जाएगा।

5. भारतीय अर्थ सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के निर्धारित वेतनमान निम्नलिखित हैं :--

चयन ग्रेड रु० 2000-125/2-2250
(नान फंक्शनल)
ग्रेड--I निदेशक रु० 1800-100-2000
ग्रेड--II संयुक्त निदेशक रु० 1500-60-1800
ग्रेड -III उप निदेशक रु० 1100-50-1600
ग्रेड---सहायक निदेशक रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300।

6. उक्त सेवा के अगले ग्रेड IV में पदोन्नति समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भारत में कहीं भी या भारत के बाहर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है अथवा इनकी किसी राज्य सरकार या गैर-सरकार संगठन में निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है।

7. दोनों सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तें तथा छुट्टी तथा पेंशन इत्यादि अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं ग्रुप "क" के सदस्यों पर लागू होने वाले नियमों द्वारा शासित होंगी।

8. भविष्य निधि की शर्तें वही है जो सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित है किन्तु ऐसे संशोधनों की शर्त के साथ जो समय-समय पर सरकार द्वारा किए जाएं।

परिशिष्ट---III

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

[ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते है ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं। ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों (मेडिकल एक्जामिनर्स) के मार्ग निर्देशन के लिए भी है।

भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।]

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पाने की संभावना हो।

2. भारतीय (एंग्लोइंडियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेरे के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे व्यवहार में लाएं। यदि वजन, कद और छाती के घेरे में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्सरे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा---वह अपने जूते उतार देगा और उस मापदण्ड (स्टेन्डर्ड) से, इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाय ऐडियों के पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कंधे मापदंड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी, नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बर्टेक्स आफ दी हैड लेवल) हारिजटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है---उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों, और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लैड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-ऐंगल्स) से लगा और फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचा किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न पाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84-89, 86-93 आदि। माप का रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटरों से कम से कम के भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

नोट :--अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार नापने चाहिएं।

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा, आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(ख) चश्मे के बिना नजर (नैकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में, मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल अधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इंफारमेशन) मिल जाएगी।

(ग) चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा -

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख	अच्छी आंख (ठीक की हुई दृष्टि)	खराब आंख
6/9	6/9		
	या		
6/9	6/12	जे० I	जे० II

दृष्टि सम्बन्धी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करता हो।

(घ) मायोपिया फंडस के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिए और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए। यदि उम्मीदवार की ऐसी रोगात्मक दशा हो जोकि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की कार्यकुशलता पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए।

(ङ) दृष्टि क्षेत्र में सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कन्फ्रंटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को पेरामीटर पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस)---साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है, (1) विटामिन "ए" की कमी के कारण और, (2) रटीना के शारीरिक रोग के कारण जिसकी आम वजह रेटीनोटिस पिगमेंटोसा होती है। उपर्युक्त (1) में फंडस की स्थिति सामान्य होती है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों से और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन "ए" के खाने से ठीक हो जाती है। ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस प्रायः होती है और अधिकांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता है। इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है। सरकार में ऊंची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग से आते हैं। उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिए अन्धेरा अनुकलन परीक्षा में स्थिति का पता चल जाएगा। उपर्युक्त (2) के लिए, विशेषतया जब फंडस न हो तो इलैक्ट्रोरेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है, इन दोनों जांचों (अन्धेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी में समय अधिक लगता है। और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है। इसलिए साधारण चिकित्सक जांच से इसका पता लगाना संभव नहीं है। इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं। यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनके कार्य की अपेक्षाएं क्या हैं और उनकी ड्यूटी किस तरह की होगी।

(छ) दृष्टि की तीक्ष्णता से भिन्न आंख की अवस्थाएं (वाक्यूलर कंडीशन) :

(i) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टिव एरर) का, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता के कम होने की संभावना हो अयोग्यता का कारण समझा जाना चाहिए ।

(ii) भेंगापन (स्क्विंट) : तकनीकी सेवाओं में, जहां द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का अनिवार्य हो, दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए । दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की होने पर भेंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए ।

(iii) एक आंख : यदि किसी व्यक्ति की एक ही आंख हो अथवा यदि उसकी एक आंख की दृष्टि ही सामान्य हो और दूसरी आंख की मन्द दृष्टि हो अथवा अप सामान्य दृष्टि हो, तो उसका प्रभाव प्रायः यह होता है कि व्यक्ति में गहरा बोध हेतु द्विविम दृष्टि का अभाव होता है । इस प्रकार की दृष्टि कई सिविल पदों के लिए आवश्यक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों को चिकित्सा बोर्ड योग्य मानकर अनुशंसित कर सकता है । बशर्ते कि सामान्य आंख :

(i) को दूर की दृष्टि 6/6 और निकट की दृष्टि जे० I चश्मा लगाकर अथवा उसके बिना हो, बशर्ते कि दूर की दृष्टि के लिए किसी मेरिडियन में त्रुटि 4 डायोप्ट्रस से अधिक न हो ।

(ii) की दृष्टि का पूरा क्षेत्र हो ।

(iii) की सामान्य रंग दृष्टि जहां अपेक्षित हो ।

बशर्ते कि बोर्ड का यह समाधान हो जाए कि उम्मीदवार प्रश्नाधीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता है ।

(ज) कान्टेक्ट लेंस :—उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कान्टेक्ट लैंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी । यह आवश्यक है कि आंख की जांच करते समय दूर की नजर के लिए टाइप किए हुए अक्षरों का उद्भासन 15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हो ।

7. ब्लड प्रैशर :

ब्लड प्रैशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रैशर के आवकलन की काम चलाई विधि नीचे दी जाती है :—

(i) 15 से 25 वर्ष के युवा आयु से अधिक व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रैशर लगभग 100 जमा आयु होता है ।

(ii) 25 वर्ष से उपर आयु वाले व्यक्तियों से ब्लड प्रैशर के आंकलन करने में 110 में आधी आयु जोड देने का तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

ध्यान दें :— सामान्य नियम के रूप में 140 एम० एम० के ऊपर के सिस्टलिक प्रेशर की ओर 90 एम० एम० से अपर डायस्टालिक प्रैशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य/अयोग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रैशर में वृद्धि थोडे समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक) बीमारी है? ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्सरे और विद्युत हृद्यलेखी (इलैक्ट्रो कार्डियाग्राफिक) परीक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (क्लियरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मैडिकल बोर्ड ही करेगा ।

ब्लड प्रैशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमित पारे वाले दाबातरमापी (मर्करी मेनोमीटर) किस्म का उपकरण (इन्स्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो । कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाए, भुजा पर, से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिए । कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके नीचे किराने की कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले ।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रेकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों-बीच स्टेथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे हवा निकाली जाती है । हल्की श्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का काम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियांवनि तेज सुनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्रायः हो जायें, वह डायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रैशर काफी थोडी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है । यदि दोबारा पडताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाये । (कभी—कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर ये गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती है) इस साइलेंट गैप से रीडिंग में गलती हो सकती है ।

8. परीक्षक की उपस्थिति में ही किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके अन्य सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोजमेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाए, अपेक्षित मैडिकल फिटनस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोजमेह अमधुमेही (नांन डायबिटिक) हो और बोर्ड केस का मेडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों, मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शूगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिक या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट" या "अनफिट" की अन्तिम राय आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए ।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसको अस्थायी रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर से अरोग्यता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख से 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य की परीक्षा की जानी चाहिए ।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए :—

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं । यदि कान की कोई खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान- विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बिमारी बढ़ने वाली न हो । चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के

लिए इस सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्गदर्शन [illegible] जाती है :—

1 एक कान मे प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन दूसरा कान सामान्य होगा।	यदि उच्च फ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीमल तक हो तो गैर-तकनीकी काम के लिए योग्य।
2 दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध जिसमे श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार सभव हो।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डैसीमल तक हो तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य।
3 सेंट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्बरेन मे छिद्र	(i) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र हो तो अस्थाई आधार पर अयोग्य। कान की शल्य-चिकित्सा की स्थिति सुधारने मे दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4 (ii) के अधीन विचार किया जा सकता है। (ii) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य। (iii) दोनों कानों में सेन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थाई रूप से अयोग्य।
4 कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड केबिटी से तवस नार्मल श्रवण	(i) किसी एक कान के सामान्य रूप से एक ओर से मस्टायड कैबिटी से सुनाई देता हो, दूसरे कान में सबनार्मल श्रवण वाले कान/मस्टायड कैविटी होने पर तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य। (i) दोनों ओर से मस्टायड कैविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य। यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवणयंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर 30 डेसीमल हो जाने पर गैर-तकनीकी कामों के लिए योग्य।
5. बहते रहने वाला कान-आपरेशन किया या/बिना आपरेशन वाला	तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य।
6 नासापट की हड्डी संबंधी/विस्मताओं (बोनी डिफारमिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक/एलर्जिक दशा	(i) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। (ii) यदि लक्षणों सहित नासापट अपसरण विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य।
7. टांसिल्स और/या स्वर यंत्र (लैरिंक्स) की जीर्ण प्रदाहक दशा।	(i) टांसिल और/या स्वर यंत्र (लैरिंक्स) की जीर्ण प्रदाहक दशा-योग्य। (ii) यदि आवाज मे अत्याधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य।
[illegible] कर्ण [illegible] अथवा [illegible] दुर्दम ट्यूमर।	(i) दुर्दम ट्यूमर अयोग्य।
9 आस्टोस्क्लेरोसिस।	श्रवण यंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसीमल के अन्दर होने पर योग्य।
10 कान, नाक, अथवा गले के जन्म-जात दोष।	(i) यदि काम काज में बाधक न हो तो योग्य। (ii) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य।
11. नेजल पोली।	अस्थायी रूप से अयोग्य।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं उसका दिल या फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रप्चर है या नहीं।

(छ) उसे हाईड्रोसील, बढ़ी हुई वेरिकोसिल वेरिकाजशिरा (वन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारग टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्युनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलों में रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए।

सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जहां कहीं सन्देह हो चिकित्सा बोर्ड या अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अस्पताल के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, उसे यदि किसी उम्मीदवार पर मानसिक त्रुटि अथवा विपथन (ऐबरेशन) से पीड़ित होने का सन्देह हो तो बोर्ड या अध्यक्ष अस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञानी/मनोविज्ञानी से परामर्श कर सकता है।

जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की सम्भावना है या नहीं।

12 मेडिकल बोर्ड के [illegible] के [illegible] अपील करने वाले उम्मीदवार को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार [illegible] 5/- का अपील शुल्क जमा करना होता है। यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को लौटाया जाएगा जो अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जायेंगे शेष दूसरों के बारे मे यह जब्त कर लिया जाएगा। यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन मे स्वस्थता प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपील पेश करनी चाहिए अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीद

वारों को ही देना पड़ेगा। दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में भी की जाने वाली यात्राओं के लिए कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए मंत्रिमंडल (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैन्डर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल यदि हो, के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना कि वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

बोर्ड में सामान्यत: तीन सदस्य होंगे (1) एक कार्य चिकित्सक (2) एक शल्य चिकित्सक और (3) एक नेत्र चिकित्सक। ये सभी यथासंभव साध्य समान स्तर के होने चाहिएं। महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को बोर्ड के सदस्य के रूप में सह-योजित किया जाएगा।

भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। इस प्रकार के किसी उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड की इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं। डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं। किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बताने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वह डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर 'अयोग्य' करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम 6 महीने से कम नही होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थाई तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देनी चाहिए और उनके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिएं। नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें---- ----------
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बतायें----------

3. (क) क्या अनुसूचित जाति या गोरखा, गढ़वाली, असमिया, नागालैंड जनजाति आदि में से किसी जाति से संबंधित हैं जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिए। उत्तर 'हां' में हो तो उस जाति का नाम बताइए।

(ख) क्या आपको कभी चेचक रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लेंड्स) का बढ़ना या इनसे पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रुमटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है।

अथवा

(ख) दूसरी कोई बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है?

4. आपको चेचक का टीका आखिरी बार कब लगा था?

5. क्या आपको अधिक काम या दूसरे किसी कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई?

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे दें :—

यदि पिता जीवित हो तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी आयु और मृत्यु का कारण
यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है?

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' में हो तो बताइये किस सेवा/किन सेवाओ के लिए आपकी परीक्षा की गई थी।

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था?

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ?

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो----------

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर----------
मेरे सामने हस्ताक्षर किये----------
बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर----------

नोट :— उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा। जानबूझ कर किसी सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस) या उपादान (ग्रेच्यूटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

————————(उम्मीदवार का नाम) की शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट।

1. सामान्य विकास ————अच्छा————बीच का ————कम———कम पोषण : पतला ————औसत————मोटा————

कद जूते उतारकर————————वजन————

अत्यतम वजन————कब था? ————

वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन————

तापमान————

छाती का घेरा————

(1) पूरा सांस खींचने पर————

(2) पूरा सांस निकालने पर————

2. त्वचा————कोई जाहिरी बीमारी

3. नेत्र ————

(1) कोई बीमारी————

(2) रतौंधी————

(3) कलर विजन का दोष————

(4) दृष्टि नेत्र (फील्ड आफ विजन)————

(5) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्वीटी)————

(6) फंडस की जांच————

दृष्टि की तीक्ष्णता		चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की क्षमता गोल बर्तुल एक्सिस
दूर की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			
पास की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			
हाइपर मैट्रोपिया (व्यक्त)	दा० ने०			
	बा० ने०			

4. कान : निरीक्षण————सुनना————दायां कान————बायां कान————

5. ग्रंथियां ————थाइराइड ————

6. दांतों की हालत ————

7. श्वसन तंत्र (रेस्पायरेटरी सिस्टम)—क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में से किसी असमानता का पता लगा है? यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें;

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्यूलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक गति (आगनिक लीजन)————
गति (रेट)——
खड़े होने पर
25 बार कुदाए जाने के बाद————
कुदाए जाने के 2 मिनट बाद————

(ख) ब्लड प्रेशर ————सिस्टालिक————
————डायस्टालिक।

9. उदर (पेट) घेरा————स्पर्श महता हर्निया :—

(क) दबा कर मालूम पड़ सकने लायक ————
तिल्ली ———— गुर्दे ————
ट्यूमर ————

(ख) रक्तार्श
भगंदर

10. तांत्रिक तंत्र (नर्व सिस्टम) तांत्रिक या मानसिक अशक्तता भगंदर
का संकेत ————

11. चालतंत्र (लोकोमोटर सिस्टम)
की असमानता ————

12. जनन मूत्र तंत्र (जैनिटो यूरिनरी सिस्टम) ————हाइड्रोसील वरिकोसिल आदि का कोई संकेत।

मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है?

(ख) अपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)।

(ग) एलबुमन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट।

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी का दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है।

नोट : महिला उम्मीदवार के मामले में यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, देखें विनियम 9।

15. (i) क्या वह भारतीय अर्थ सेवा/भारतीय सांख्यिकी सेवा में दक्षतापूर्वक और निरंतर कार्य करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया।

(ii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है?

नोट : बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए?

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण————
————

(iii) अस्थायी रूप से अयोग्य, जिसका कारण————
————

स्थान————अध्यक्ष————
तारीख ————सदस्य————
सदस्य————

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi 110001, the 23rd December 1983

No. 4/4/80-RCC.—Shri Ladli Mohan Nigam, Member, Rajya Sabha has been nominated on December 21, 1983, to serve as a Member of the Parliamentary Committee to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance vis-a-vis the General Finance in the vacancy caused by the death of Shri Sadashiv Bagaitkar on 5 December 1983.

H. S. KOHLI,
Chief Financial Committee Officer

PLANNING COMMISSION

New Delhi 110001, the 30th November 1983

RESOLUTION

No. E. 11015/5/81-Hindi.—In continuation of Planning Commission Resolution No. E. 11015/5/81-Hindi dated 30th May, 1981 the Government of India have decided to nominate Acharya Bhagwan Dev, Member of Lok Sabha as member of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Planning.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. AGARWAL, Dir. (Admn.)

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 12th December 1983

RESOLUTION

No. F-11012/4/83-Hindi.—The Government of India in the Ministry of Rural Development have decided to introduce a scheme, namely "Gramin Vikas Sahitya Puraskar" for giving awards to authors writing original books in Hindi pertaining to the subjects coming within the purview of Ministry of Rural Development. The main features of the scheme are as follows:—

1. One prize of Rs. 5,000/- and one prize of Rs. 2,500/- in cash will be given once in two years for standard original books in Hindi on the subjects coming within the purview of Ministry of Rural Development.

2. The objective of the scheme is to encourage authors in India to write original books in Hindi on the subjects coming within the purview of Ministry of Rural Development.

3. Only standard original books whether in manuscript or published, will be taken into consideration for the award of prizes.

4. The Ministry of Rural Development shall have the sole right of selection of the recipient of the awards and the formulation of the rules governing such selection.

5. The award is open to Indian Authors including Editors of multi-author books where the Editor has himself contributed substantially together with an editorial preface. Both published books and manuscripts proposed to be published by itself author will be accepted provided that such work is written originally and does not infringe the copyright of any other person.

6. The authors shall be judged on the basis of the original work done by them as evinced in the book(s)/manuscripts submitted by them during the past one year preceding the years of award.

7. There will be an Evaluation Committee to select the best books/manuscripts suitable for the award of prizes.

8. The Secretary, Ministry of Rural Development will invite applications for award of prizes from authors through notice published in leading newspapers in English and Hindi. The Ministry of Rural Development may on its own include for consideration any book for the award of the prize.

9. The authors will be required to submit their applications and the book(s) or manuscript, in quintpuplicate, addressed to the Secretary, Ministry of Rural Development. Copies of the books/manuscripts so submitted shall not be returned to the authors.

10. If an original work entered in this award has already been awarded a prize under any scheme, this fact should be clearly stated by the author in the forwarding letter to the Secretary, Ministry of Rural Development.

11. Any author may submit more than one entry for the award of prize. No author shall however be entitled to the award for more than one prize under the scheme in any particular block of two years.

12. If there is more than one author of an awarded block/manuscript the amount of the prize will be distributed equally amongst the co-authors.

13. The award of the prize/prizes shall be withheld by the Ministry of Rural Development if no block/manuscript is adjudged to qualify for the award of the Prize/Prizes.

14. The prizes will be awarded at a function to be specially organised by the Ministry of Rural Development on any other suitable occasions.

15. In good time prior to the presentation of awards, the Secretary of the Ministry of Rural Development shall notify the award to the recepients of their selection.

General

1. The author who submits his book for being considered for the awards of a prize shall not lose his copyright therein.

2. The translation of a book shall not be considered for the award of a prize.

3. If an unpublished work is selected for a prize, the prize money shall be paid only after the book has been published by the author without any assistance from the Central Government, State Government or any Institution or Organisation receiving aid from any of the Government aforesaid.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments/Union Territories and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED further that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. P. VISHNOI, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 13th December, 1983

RESOLUTION

No. F.23-46/81-CH.5(NCA).—The Ministry of Education and Culture has set up a National Council of Arts vide Resolution No. F.23-46/81/CH.5 dated the 19th September, 1983 for coordinating the activities of institutions of arts, archaeology, anthropology, archives, museums and for providing guidelines for future plans and programmes of such institutions and organisations. In the above Resolution dated 19th September 1983 it had been mentioned that the names of eight eminent persons representing the creative arts, research

research and scolarship would be announced later. Pursuant to this it has been decided to nominate the following on the National Council of Arts with immediate effect :

1. Smt. Pupul Jayakar
2. Shri Ravi Shankar
3. Dr. Mulk Raj Anand
4. Shri Charles Correa
5. Shri Sankho Chaudhuri
6. Dr. Jabbar Patel
7. Dr. L. P. Sihare
8. Shri Shyam Benegal

ORDER

ORDERED that a copy of the resolution be communicated to all the Ministries and Departments of the Government of India and all the State Governments and Union Territories.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

SERLA GREWAL, Secy.

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi-110011, the 19th December 1983

ARCHAEOLOGY

No. 23/32/81-EE.—In partial modification of this office notification No. 23/32/81-EE dt. 1-9-82, it is hereby notified that the Tipu Sultan Museum at Srirangapatna (Karnataka) and Archaeological Museum Nagarjunakonda (Andhra Pradesh) are to remain open to the public from 9-00 a.m. to 5.00 pm., and 9.00 am. to 4.00 pm. respectively.

D. MITRA, Director General

MINISTRY OF SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 19th December 1983

RESOLUTION

Subject : Indian National Code for Protection and Promotion of Breast-feeding.

No. 18-11/81-NT.—The Government of India affirms the right of every child to be adequately nourished as a means of attaining and maintaining health. Infant malnutrition is a major contributory cause of high incidence of infant mortality and physical and mental handicaps. The health of infants and young children cannot be isolated from the health and nutrition of women. The mother and her infant form a biological unit. Breast-feeding is an integral part of the reproductive process. It is the natural and ideal way of feeding the infant and provides a unique biological and emotional basis for healthy child development. The anti-infective properties of breast-milk protect infants against disease. The effect of breast-feeding on child-spacing, on the health and well-being of the mother, on family health, on family and national economy and on food production is well-recognised. Breast-feeding is, therefore, a key aspect of self-reliance and primary health care. It is the nation's responsibility to encourage and protect breast-feeding, and to protect pregnant women and lactating mothers from any influence that could disrupt it. Inappropriate feeding practices lead to infant malnutrition, morbidity and mortality in our children. Promotion of breast-milk substitutes and related products like feeding bottles and teats do constitute a health hazard. Promotion of breast-milk substitutes and related products has been more extensive and pervasive than the promotion of information concerning the advantages of breast-milk and breast-feeding, and contributes to decline in breast-feeding. In the absence of strong interventions designed to protect, promote and support breast-feeding, it can be anticipated that this decline will continue, and that even larger numbers of infants and young children will be placed at risk of infections malnutrition and death. Only when young infants cannot be breast-fed, and when other sources of human milk are unavailable, other food becomes necessary. It is important for infants to receive appropriate complementary foods, usually when the infant reaches four to six months of age, and the emphasis should be placed on local foods and traditional practices, complemented only when necessary and under proper guidance, by industrially processed products. Government appreciates that, guided by the highest considerations for the proper nutrition and health of the World's children, the World Health Assembly adopted in May, 1981 an International Code of Marketing of Breast-Milk Substitutes. Government recognises that this code, although an important measure to regulate production and marketing of products which interfere with [illegible] ly one aspect of the measures governme[illegible] to protect and promote the healthy growth and development of infants and young children.

Educational systems, social services, families, communities, women's organisations and other non-governmental organisations should be involved in the protection and promotion of breast-feeding and other activities aimed at the improvement of maternal, infant and young child health and nutrition. In the light of the foregoing considerations, and in view of the vulnerability of infants in the early months of life and the risks involved in the inappropriate feeding practices, including the unnecessary and improper use of breast-milk substitutes and feeding accessories, it is necessary to regulate the marketing of such products. Government, therefor, resolves to adopt the following Code :

Article 1. Aim of the Code

The aim of this Code is to contribute to the provision of safe and adequate nutrition for infants, by the protection and promotion of breast-feeding, and by ensuring the proper use of breast-milk substitutes, when these are necessary, on the basis of adequate information and through appropriate marketing and distribution.

Article 2. Scope of the Code

The Code applies to the marketing, and practices related thereto, of the following products : breast-milk substitutes, including infant formula; other milk products, foods and beverages, including bottlefed complementary foods, when marketed or otherwise represented to be suitable, with or without modification, for use as a partial or total replacement of breast-milk; feeding bottles and tests. It also applies to their quality and availability, and to information concerning their use.

Article 3. Definitions

For the purposes of the Code :

"Breast-milk substitute"	means	any food being marketed or otherwise represented as a partial or total replacement for breast-milk, whether or not suitable for that purpose.
"Complementary food"	means	any food, whether manufactured or locally prepared, suitable as a complement to breast-milk or to infant formula when either becomes insufficient to satisfy the nutritional requirements of the infant. Such food is also commonly called "weaning food" or "breeast milk supplement".
"Container"	means	any form of packaging of products for sale as a normal retail unit, including wrappers.
"Distributor"	means	a person, corporation or any other entity in the public or private sector engaged in the business (whether directly or indirectly) of marketing at the wholesale or retail level a product within the scope of this Code. A "primary distributor" is a manufaturer's sales agent, representative, national distributor or broker.
"Health care system"	means	governmental, non-governmental or private institutions or organisations engaged, directly or indirectly, in health care for mothers, infants and pregnant women; and nurseries or child-care institutions. It also includes health workers in private practice. For the purpose of this Code, the health care system does not include pharmacies or other established sales outlets.

"Health worker"	means	a person working in a component of such a health care system, whether professional or non-professional, including voluntary, unpaid workers.
"Infant formula"	means	a breast-milk substitute formulated industrially in accordance with applicable ISI standards, to satisfy the normal nutritional requirements of infants up to between four and six months of age, and adapted to their physiological characteristics. Infant formula may also be prepared at home, in which case it is described as "home prepared".
"Label"	means	any tag, brand, mark, pictorial or other descriptive matter, written, printed, stencilled, marked, embossed or impressed on, or attached to, a container (see above) of any products within the scope of this Code.
"Manufacturer"	means	a corporation or other entity in the public or private sector engaged in the business or function (whether directly or through an agent or through an entity controlled by or under contract with it) of manufacturing a product within the scope of this Code.
"Marketing"	means	product pomotion, distribution, selling, advertising, product public relations, and information services.
"Marketing personnel"	means	any persons whose functions involve the marketing of a product or products coming with in the scope of this Code.
"Samples"	means	single or small quantities of a product provided without cost.
"Supplies"	means	quantities of a product provided for use over an extended period, free or at a low price, for special purposes, including those provided to families in need.

Article 4. Information and education

4.1 Government shall ensure that objective and consistent information is provided on infant and young child feeding for use by families and those involved in the field of infant and young child nutrition. This responsibility shall cover the planning, provision, design and dissemination of information and their control.

4.2 Informational and educational materials, whether written, audio, or visual, dealing with the feeding of infants and intended to reach pregnant women and mothers of infants and young children, should include clear information on all the following points: (a) the benefits and superiority of breast-feeding; (b) maternal nutrition, and the preparation for and maintenance of breast-feeding; (c) the negative effect on breast-feeding of introducing partial bottle-feeding; (d) the difficulty of reversing the decision not to breast-feed; and (e) where needed, the proper use of infant formula, whether manufactured industrially or home-prepared. When such materials contain information about the use of infant formula, they should include the social and financial implications of its use; the health hazards of inappropriate foods or feeding methods; and, in particular, the health hazards of unnecessary or improper use of infant formula and other breast-milk substitutes. Such materials should not use any pictures or text which may idealize the use of breast-milk substitutes.

4.3 Donations of informational or educational equipment or materials by manufacturers or distributors should be made only at the request and with the written approval of the appropriate government authority or within guidelines given by government for this purpose. Such equipment or materials may bear the donating company's name or logo, but should not refer to a proprietary product that is within the scope of this Code, and should be distributed only through the health care system.

Article 5. The general public and mothers

5.1 There shall be no advertising or other form of promotion to the general public of products within the scope of this Code.

5.2 Manufacturers and distributors should not provide, directly or indirectly, to anybody, samples of products within the scope of this Code.

5.3 In conformity with paragraphs 1 and 2 of this Article, there should be no point-of-sale advertising, giving of samples, or any other promotion device to induce sales directly to the consumer at the retail level, such as special displays, discount coupons, premiums, special sales, loss-leaders and tie-in-sales, for products within the scope of this Code. This provision should not restrict the establishment of pricing polices and practices intended to provide products at lower prices on a long-term basis.

5.4 Manufacturers and distributors should not distribute to pregnant women or mothers of infants and young children any gifts of articles or utencils which may promote the use of breast-milk substitutes or bottle-feeding.

5.5 Marketing personnel, in their business capacity, should not seek direct or indirect contact of any kind with pregnant women or with mothers of infants and young children.

Article 6. Health Care systems

6.1 The health authorities in the country should take appropriate measures to encourage and protected breast-feeding and promote the principles of this Code, and should give appropriate information and advice to health workers in regard to their responsibilities, including the information specified in Article 4.2

6.2 No facility of a health care system should be used for the purpose of promoting infant formula or other products within the scope of this Code. This Code does not, however, preclude the dissemination of information to health professionals as provided in Article 7.2.

6.3 Facilities of health care systems should not be used for the display of products within the scope of this Code, for placards or posters concerning such products or for the distribution of material provided by a manufacturer or distributor other than that specified in Article 4.3

6.4 The use by the health care system of "professional service representatives", "mother craft nurses" or similar ersonnel, provided or paid for by manufacturers or distributors, should not be permitted.

6.5 Feeding with infant formula, whether manufactured or home-prepared, should be demonstrated only by health workers, or other community workers if necessary; and only to the mothers or family members who need to use it; and the information given should include a clear explanation of the hazards of improper use.

6.6 Donations or low-price sales to institutions or organizations of supplies of infant formula or other products within the scope of this Code, whether for use in the institutions or for distribution outside them intended for the recuperation of malnourished children and other medical reasons or for the infants of mothers who cannot breast-feed and who cannot afford to purchase adequate amounts, may be made. If these supplies are distributed for use outside the institutions, this should be done only by the institutions or organisations concerned. Such donations or low-price sales should not be used by manufacturers or distributors as a sales inducement.

6.7 Where donated supplies of infant formula or other products within the scope of this Code are distributed outside an institution the institution or organization should take steps to ensure that supplies can be continued as long as the infants concerned need them. Donors, as well as institutions or organizations concerned, should bear in mind this responsibility.

6.8 Equipment and materials, in addition to those referred to in Article 4.5, donated to a health care system may bear a company's name or logo, but should not refer to any proprietary product within the scope of this Code.

Article 7. Health workers

7.1 Health workers should encourage and protect breast-feeding, and those who are concerned in particular with maternal and infant nutrition should make themselves familiar with their responsibilities under this Code, including the information specified in Article 4.2.

7.2 Information provided by manufacturers and distributors to health professionals regarding products within the scope of this Code should be restricted to scientific and factual matters and such information should not imply or create a belief that bottle feeding is equivalent or superior to breast-feeding. It should also include the information specified in Article 4.2.

7.3 No financial or material inducements to promote products within the scope of this Code should be offered by manufacturers or distributors to health workers or members of their families, nor should these be accepted by health workers or members of their families.

7.4 Manufacturers and distributors of products within the scope of this Code should disclose to the institution to which a recipient health worker is affiliated any contribution made to him or on his behalf for fellowships, study tours, research grants, attendance at professional conferences, or the like. Similar disclosures should be made by the recipient.

Article 8. Persons employed by manufacturers and distributors.

8.1 In systems of sales incentives for marketing personnel the volume of sales of products within the scope of this Code should not be included in the calculation of bonuses nor should quotas be set specifically for sales of these products. This should not be understood to prevent the payment of bonuses based on the overall sales by a company of other products marketed by it.

8.2 Personnel employed in marketing products within the scope of this Code should not, as part of their job responsibilities, perform educational functions in relation to pregnant women or mothers of infants and young children. This should not be understood as preventing such personnel from being used for other functions by the health care system at the request and with the written approval of the appropriate authority of the government concerned.

Article 9. Labelling

9.1 Labels should be designed to provide the necessary information about the appropriate use of the product and so as not to discourage breast-feeding.

9.2 Manufacturers and distributors of infant formula should ensure that each container has a clear, conspicuous and easily readable and understandable message printed on it or on a label which cannot easily become separated from it in an appropriate language which includes all the following points:

(a) the words "Important Notice" or their equivalent;

(b) a statement of the superiority of breast-feeding;

(c) a statement that the product should be used only on the advice of a health worker as to the need for its use and the proper method of use;

(d) instructions for appropriate preparation, and a warning against the health hazards of inappropriate preparation. Neither the container nor the label should have pictures of infants, nor should they have other pictures or text which may idealize the use of infant formula. They may, however, have graphics for illustrating methods of preparation. The terms "humanized", "maternalized" or similar terms should not be used. Inserts giving additional information about the product and its proper use, subject to the above conditions, may be included in the package/retail unit. When labels give instructions for modifying a product into infant formula, the above should apply.

9.3 Food products within the scope of this Code marketed for infant feeding, which do not meet all the requirements of an infant formula, but which can be modified to do so, should carry on the label a warning that the unmodified product should not be the sole source of nourishment of an infant. Since sweetened condensed milk is not suitable for infant feeding, nor for use as a main ingredient of infant formula, its label should not contain purported instructions on how to modify it for that purpose.

9.4 The label of food products within the scope of this Code should also state all the following points: (a) the ingredients used, (b) the composition/analysis of the product, (c) the storage conditions required, and (d) the batch number and the date before which the product is to be consumed, taking into account the climatic and storage conditions of the country.

Article 10. Quality

10.1 The quality of products is an essential element for the protection of the health of infants and therefore should be of a high recognized standard.

10.2 Food products within the scope of this Code should, when sold or otherwise distributed, meet applicable ISI standards.

Article 11. Implementation and monitoring

11.1 Government shall give effect to the principles and aim of this Code through legislation and other suitable measures. National policies and measures including laws, which are adopted to give effect to the principles and aim of this Code, shall be publicly stated, and shall apply on the same basis to all those involved in the manufacture and marketing of products within the scope of this Code.

11.2 The manufacturers and distributors of products within the scope of this Code, and appropriate non-governmental organizations, professional groups, and consumer organisations are expected to collaborate with government in the implementation of this Code.

11.3 Independently of any other measures taken for implementation of this Code manufacturers and distributors of products within the scope of this Code should regard themselves as responsible for monitoring their marketing practices according to the principles and aim of this Code, and for taking steps to ensure that their conduct at every level conforms to them.

11.4 Non-governmental organizations, professional groups, institutions, and individuals concerned should draw the attention of manufacturers or distributors to activities which are incompatible with the principles and aim of this Code so that appropriate action can be taken. The appropriate governmental authority should also be informed.

11.5 Manufacturers and primary distributors of products within the scope of this Code should apprise each member of their marketing personnel of the Code and of their responsibilities under it.

ORDER

ORDERED that copy of this Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. S. DAYAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS

RULES FOR CLERKS' GRADE EXAMINATION, 1984

New Delhi-1, the 14th January 1984

No. 9/3/83-CS II.—The Rules for Competitive Examination to be held by the Staff Selection Commission, Department of Personnel and Administrative Reforms, Ministry of Home Affairs, in 1984 for the purpose of filling temporary vacancies in the following service/posts (and for such other service/posts as may be included by the Commission in their Advertisement inviting applications for the Examination) are published for general information :

(i) Indian Foreign Service (B) Grade VI.

(ii) Railway Board Secretariat Clerical Service—Grade II.

(iii) Central Secretariat Clerical Service—Lower Division Grade.

(iv) Armed Force Headquarters Clerical Service—Lower Division Grade.

(v) Posts of Lower Division Clerks in the Election Commission of India.

(vi) Posts of Lower Division Clerks in the Department of Parliamentary Affairs, New Delhi.

(vii) Posts of Lower Division Clerks in the Office of the Inspector General of Indo-Tibetan Border Police, Delhi.

(viii) Posts of Lower Division Clerks in the Central Vigilance Commission.

Preference in respect of services/posts mentioned above will be invited by the Commission from the candidate at the time of submitting their applications. A candidate may, however, change the order of preferences once before the date of the written examination.

2. The number of vacancies to be filled on the basis of the results of the examination will be specified in the advertisement issued by the Commission in the newspapers. Reservation will be made for candidates who are ex-serviceman for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and for physically handicapped persons in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

3. (i) Ex-serviceman means a person, who has served in any rank (whether as a combatant or as a non-combatant), in the Armed Forces of the Union, including the Armed Forces of the former Indian States, but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak Sena and Territorial Army, for a continuous period of not less than six months after attestation, and

(a) has been released, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or has been transferred to the reserve pending such release, or

(b) has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid, or

(c) has been released at his own request after completing five years service in the Armed Forces of the Union.

(ii) Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order 1956, the Bombay Reorganisation Act 1960, the Punjab Reorganisation Act 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution Dadra and Nagar Haveli, Scheduled Tribes Order 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978.

(iii) Physically Handicapped person means a person belonging to any of the following categories :—

(a) *The Deaf* : The deaf are those in whom the sense of hearing is non-functional for ordinary purposes of life. They do not hear and understand sound at all even with amplified speech. The cases included in this category will be those having hearing less more than 90 decibels in the better ear (profound impairment) of total loss of hearing in both ears.

(b) *The Orthopaedically handicapped* : The Orthopaedically handicapped are those who have a physical-defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints.

The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in appendix I to the Rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian Origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

(1) Provided that a candidate belonging to categories (b), (c) (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(2) Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B) Grade VI.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment will be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Ministry/Department, which is administratively concerned with the post where the candidate is likely to be appointed.

5 (a) A candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1st August 1984 i e he must have not been born not earlier than 2nd August, 1959 and not later than 1st August, 1966.

(b) The upper age limit will be relaxable in the case of ex-servicemen who have put in not less than six months continuous service in the Armed Forces of the Union to the extent of their total service in the Armed Forces increased by the three years.

Candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for all the vacancies whether reserved or not for ex-servicemen.

RULE : The period of "call up service of an ex-serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service concerned in the Armed Forces for purpose of Rule 5(b) above.

(c) The upper age limit in all these cases will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January 1964 and 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate or a prospective repatriate of India on origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or before 1st November, 1964 or is to migrate to India under the IndoCeylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) upto a maximum of three years if a candidate is bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of India origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, or in peace time & released as a consequence thereof;

(x) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area or in peace time and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xi) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a conquence thereof;

(xii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin (Indian passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975;

(xiv) upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person, (For candidates belonging to SC or ST who are physically handicapped, the maximum relaxation of ten years permissible for physically handicapped persons shall be in addition to the age relaxation provided in terms of Column (i);

(xv) upto the age of 35 years (upto 40 years for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes) in the case of widows, divorced women and women judicially separated from their husbands, who are not re-married.

(d) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Clerks/Assistant Compilers/Store-keepers in the various Department Offices of the Government of India and in the Office of the Election Commission, and have rendered not less than 3 years continuous service as Clerks as on 1-8-84 and who continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be admissible to persons appointed as Clerks in the Ministries/Departments and attached Offices participating in (i) Central Secretariat Clerical Service; (ii) Indian Foreign Service (B); (iii) Railway Board Secretariat Clerical Service and to persons who are ex-servicemen competing at the examination for vacancies reserved for ex-servicemen.

(e) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been employed as Hindi Clerks/Hindi Typists in the various Ministries/Departments and Attached Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service, and have rendered not less than 3 years continuous service as Hindi Clerks/Hindi Typists on 1-8-1984 and who continue to be so employed.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession shall be eligible to compete for only vacancies in the Central Secretariat Clerical Service.

(f) The upper age limit will be relaxable upto 45 years in respect of service clerks in the last years of their colour service in the Armed Forces, i.e. those who are due for release from the Army during the period from 2nd August 1984 to 1st August, 1985. Such candidates are not entitled to any concession in fee.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete only for vacancies in Armed Forces Headquarters and Inter-Services Organisation, which are not reserved for ex-servicemen.

(g) There will be no upper age limit for Telephone Operators who are employed in the Ministry of External Affairs as on 1-8-84 and who continue to be so employed.

(h) Upper age limit is also relaxable upto 35 years for the Staff Car Drivers who are educationally qualified for appointment to the post of L.D.Cs. and who have not less than 3 years of continuous service in the grade, in accordance with DP&AR's O M No 22011/15/81-Estt(D), dated 4-7-1983.

NOTE 1 : Service rendered by R.M.S Sorters employed in Subordinate offices of P&T Department shall be treated as service rendered in the grade of Clerks for purpose of Rule 5(d) above

NOTE 2 : The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5(d), Rule 5(e) and Rule 5(g) above, is liable to be cancelled if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by this Department, either before or after taking the examination. He will, however continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

NOTE 3 : A Clerk who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

NOTE 4 : Any permanent or temporary Telephone Operator working in the Office/Department participating in the Ministry of External Affairs shall be eligible to appear at the examination provided that no Telephone Operator shall be allowed to avail of more than two chances to qualify in the examination.

Telephone Operators who are on deputation to other ex-adre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible This also applies to a person who has been appointed to another ex-cadre post or to another service

on transfer if he/she continues to have lien on the post of Telephone Operator for the time being.

NOTE 5 : The examination will be qualifying and not competitive so far as persons falling under category (g) above of this rule are concerned. They will not be required to appear at the typewriting test forming part of this examination. They shall have to pass a periodical typewriting test held by this Commission, if not already passed within a period of one year from the date of their appointment as a Lower Division Clerk, failing which no annual increment will be allowed to them until they have passed the said test.

Telephone Operator recommended by the Commission shall be inducted only in I.F.S.(B) Grade VI.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

6. Candidates must have passed the Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secnodary School, High School. or any other certificate which is accepted by the Government of that State/Government of India as equivalent to Matriculation Certificate for entry into services.

NOTE 1 : A candidate who has appeared at an examination, the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also a candidate who intends to appear at such a qualifying examination will not be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE 2 : In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of that Government justifies his admission to the examination.

7. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

(ii) A person married to a foreign national shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

8. A candidate already in Government service whether in a permanent or temporary capacity may apply direct for appearing at the examination but will have to send to the Commission a "No Objection Certificate" from his office before being allowed to take the Typewriting Test.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE : In the case of the disabled ex-Defence Services personnel a certificate of fitness granted by the Demobilization Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

10. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate will be admitted to the examination unless he holds certificate of admission from the Commission.

12. Candidates except ex-servicemen released from the Armed Forces and those who are granted remission of fee vide Commission's advertisement must pay the fee prescribed therein.

13. Any attempt on the part of a candidate to obtain support his candidature by any means may disqualify him for admission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) Impersonating.

(iii) Procuring impersonation by any person, or

(iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or supressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature, for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit. as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may, in addition to render-in himself liable to criminal prosecution as liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission from any examination or Selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under appropriate rules, if he is already in service under Government.

15. After the examination, the candidates competing for the services/posts mentioned in para 1 who qualify at the typewriting test or are exempted therefrom will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks final awarded to each candidate at the written examination; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the basis of results of the examination.

Provided that the candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of General standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided further that ex-servicemen belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a

relaxed standard to make up the deficinecy in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for ex-servicemen subject to the fitness of these candidates for selection to the Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

16. Due consideration will be given at the time of making appointments on the basis of results of the examination to the preferences expressed by a candidate for various services/posts at the time of his application.

17. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at its descretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding result.

18. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/Post.

H. G. MANDAL
Under Secretary

APPENDIX I

The examination will consist of two parts, *viz.*, part I—written examination, and part II—Typewriting Test.

PART I *Written Examination.*—The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Paper No.	Subject	Maximum Marks	Time Allowed
I	English Language	150	1½ hours.
II	General Knowledge	150	1½ hours.

PART II *Typewriting Test.*—The Typtwriting Test will consist of one paper on Running matter of 10 minutes duration.

2. The question paper on "English Language" and "General Knowledge" will be of the "Objective Type".

3. Only those candidates who attain, the written examination, a minimum standard, as may be fixed by the Commission in their discretion, will be eligible to take the typewriting test, *i.e.*, Part II of the scheme of Examination.

4. Only such candidates as qualify at the Typewriting Test at a speed of not less than 30 words per minute in English or not less than 25 words per minute in Hindi will be eligible for being recommended for appointment in terms of Rule 15 of the Rules for the Examination. (This does not apply in the case of Telephone Operators employed in the Ministry of External Affairs).

NOTE 1 : Candidates who have already passed one of the periodical Typewriting Tests in English or Hindi held by the Union Public Service Commission or the Secretariat Training School or the Institute of Secretariat Training and Management or Subordinate Services Commission or Staff Selection Commission at a speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi need not appear at the Typewriting Test in this examination. Such candidates must indicate their Roll Numbers and the date of the Typewriting Test which they have passed.

NOTE 2 : A candidate who claims to be permanently unfit to pass the Typewriting Test because of a physically disability, may with the prior approval of the Chairman, Staff Selection Commission, be exempted from the requirement of appearing and qualifying at such Test, provided such a candidate, when required to appear at the Typewriting Test, furnishes a certificate (in the prescribed form) to the Commission from the competent medical authority *i.e.* the Civil Surgeon, declaring him/her to be permanently unfit to pass the Typewriting Test because of a physical disability.

5. Candidates will be required to bring their own Typewriter for the Typewriting Test. A typewriter with the standard size roller will do for the test.

6. Candidates are allowed the option to take the typewriting Test in Hindi (in Devanagri Script) or in English.

7. Candidates desirous of exercising the option to take the Typewriting Test in Hindi (in Devanagri Script) should indicate their intention to do so in their application otherwise it would be presumed that he would take the Typewriting Test in English. The option once exercised will be final and no request for change of option will be entertained. No credit will be given for Typewriting Test taken in a language other than the one opted for by the candidates.

8. The syllabus for the Written Examination will be shown in the schedule to this Appendix.

9. Candidates must write the Papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

10. The Commission has discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS FOR THE SUBJECTS INCLUDING IN PART I—WRITTEN EXAMINATION

1. *English Language and General Knowledge*—

(a) English Language, Questions will be designed to test candidates' knowledge of English, Grammer, Vocabulary, spellings, synonyms and antonyms, his power to understand and comprehend the English Language, and his ability to discriminate between correct and incorrect usage, etc.

(b) *General knowledge* : Candidates are expected to have some knowledge of the Constitution of India, Indian History and Culture, General and Economic Geography of India, current events, every-day science and such matter of every day observation as may be expected of an educated person. Candidates' answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

APPENDIX II

Brief particulars relating to Services/Posts to which recruitment is being made through this Examination.

A. CENTRAL SECRETARIAT CLERICAL SERVICE :

The Central Secretariat Clerical Service has two grades as follows :—

(i) Upper Division Grade—Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.

(ii) Lower Division Grade—Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On the conclusion of the period of probationer, Government may confirm the clerk on probation or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be posted to one of the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other Ministry or Office, participating in the Central Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. Permanent or regularly appointed temporary Lower Division

Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination.

6. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to take the Grade 'D' Stenographers' Exam nation after rendering not less than two years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Government in this behalf. The upper age limit for this examination is 50 years on the crucial date.

7. Persons recruited to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service in pursuance of their option for that service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Clerical Service.

B. RAILWAY BOARD SECRETARIAT CLERICAL SERVICE :

The Service conditions of the Lower Division Clerks employed in the Ministry of Railways, so far as recruitment, training, promotion etc. are concerned are regulated by the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules, 1970 which are on the lines of Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 as amended from time to time.

2. The Railway Board Clerical Service consists of the following two grades :—

(i) Upper Division Grade—Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.

(ii) Lower Division Grade—Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

3. Direct recruitment is made in Lower Division Grade only. Persons recruited to Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in their discharge from service.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the Rules in force from time to time in this behalf, permanent or regularly appointed Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade of Railway Board Secretariat Clerical Service on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental competitive Examination of the Railway Board Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination for Grade 'D' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service held by the Ministry of Railway, after rendering not less than 2 years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Government in this behalf. The Upper Age limit for this examination is 45 years on the crucial date.

6. The Railway Board Secretariat Clerical Service is confined to the Ministry of Railways and the Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Clerical Service.

7. Officers of the Railway Board Secretariat Clerical Service recruited under those rules :—

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

8. The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilage ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

9. As regards leave and other conditions of service, Staff included in the Railway Board's Secretariat Clerical Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

C. INDIAN FOREIGN SERVICE (B) GRADE VI :

The scale of pay—Rs. 260-6-290-EB-6-326-EB-8-390-10-400.

Officers appointed to Grade VI of the Indian Foreign Service (B) are eligible for promotion to Grade V in the pay scale of Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560 on completion of eight years of service in the grade.

2. Officers of Grade V of the Indian Foreign Service (B) will in turn be eligible for appointment to Grade IV of the service in the pay scale of Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800 on completion of five years of service in the grade.

3. Officers of Grade VI of the Indian Foreign Service (B) will be eligible for promotion to Grade III of Stenographers' sub-Cadre of the Service in the pay scale of Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560 on completion of required number of years of service in the grade, on the basis of a Limited Departmental Examination.

4. Such officers of Grade VI, who are graduates, will be eligible for appointment to the grade of Assistant in the sub-Cadre of IFS(B) in the pay scale of Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800 on completion of required number of years of service in the grade through a Limited Departmental Examination.

5. Candidates appointed to the Indian Foreign Service(B) will be liable to serve in any post either at Headquarters, anywhere in India or abroad to which they may be posted by the controlling authority.

6. During service abroad, IFS(B) officers, are granted foreign allowance in addition to their basic pay, at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS(PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS(B) officers :—

(i) Free Furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government;

(ii) Medical Attendance Facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme;

(iii) Return air passage to India and back to the place of duty abroad up to a maximum of two throughout the officer's service for emergencies such as the death of serious illness of an immediate relation in India as may be defined by the Government;

(iv) Annual return air passage for children between the ages of 6 and 22 studying in India to visit their parents during vacation subject to certain conditions;

(v) Expenditure on education of children upto a maximum of two children between the age of 5 and 18 studying at the place of posting abroad of the Officer is met by the Government subject to certain conditions;

(vi) Outfit allowance—Rs. 1,750/- per posting abroad.

(vii) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

7. The conditions for appointment, confirmation and seniority in the service will be governed by the relevant provisions of the Indian Foreign Service (B) (Recruitment Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, and also by any other rules or orders, which Government may hereafter make.

D. ARMED FORCES HEADQUARTERS CLERICAL SERVICE

The Armed Forces Headquarters Clerical Service has two grades as follows :—

Upper Division Grade—Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.

Lower Division Grade—Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

The posts in Upper Division Grade are filled by promotion from amongst Lower Division Clerks. Direct recruitment is made in the Lower Division Grade only.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for two years, which period may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During the period of probation they may be required to undergo such training and pass such tests as may be prescribed from time to time.

3. Lower Division Clerks will be eligible for confirmation and promotion in accordance with the rules in force from time to time.

4. Lower Division Clerks recruited to the AFHQ Clerical Service, will be generally posted to any office of the Armed Forces Headquarters and Inter-Service Organisations located in India/New Delhi. They will also be liable to be posted anywhere within Indian in the public interest.

5. Leave, medical aid and other conditions of service will be same as applicable to other Ministerial staff employed to the AFHQ and Inter-Service Organisations.

E. DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS :

The scale of pay for the posts of Lower Division Clerks in the Department is Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-EB-390-10-400.

Candidates appointed to the service by selection through the competitive examination shall be on probation for a period of two years.

F. INDO-TIBETAN BORDER POLICE :

The scale of pay for the posts of Lower Division Clerks in the Indo-Tibetan Border Police is Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-390-10-400.

Candidates appointed to these posts on the basis of results of this examination will be on probation for a period of two years.

G. CENTRAL VIGILANCE COMMISSION AND ELECTION COMMISSION :

1. The scale of pay for the Lower Division Clerks in the Commission is Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

2. The posts of Lower Division Clerks in the Central Vigilance Commission and the Election Commission are not included in the C.S.C.S.

3. The persons appointed will be on probation for a period of two years.

4. They will be eligible for promotion to the grade of Upper Division Clerks after putting in five years service in case of Central Vigilance Commission and eight years service in the case of Election Commission.

RULES

New Delhi, the 14th January 1984

No. 11013/1/83-IES.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1984 for the purpose of filling vacancies in Grade IV of the following Services are published for general information :—

(i) The Indian Economic Service, and

(ii) The Indian Statistical Service.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

5. (a) A candidate for admission to this examination, must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 28 years on 1st January, 1984 i.e. he must have been born not earlier than 2nd January, 1956 and not later than 1st January, 1963.

NOTE : CANDIDATES SHOULD NOTE THAT THE UPPER AGE-LIMIT PRESCRIBED IN SUB-RULE (a) ABOVE HAS BEEN REDUCED TO 26 YEARS IN RESPECT OF THE EXAMINATIONS TO BE CONDUCTED IN 1985 AND ONWARDS.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975.

(vii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin (Indian passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975.

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or who is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi Zaire and Ethiopia;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malavi, Zaire and Ethiopia;

(xiv) up to a maximum of five years in case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military Service as on 1st January, 1984 and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January, 1984) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of Physical disability attributable to Military Service or on invalidment;

(xv) up to a maximum of ten years in case of ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered at least five years Military service as on 1st January, 1984 and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months from 1st January, 1984) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or on account of Physical disability attributable to Military Service or on invalidment; who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973.

(xvii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile West Pakistan and had migrated to India during the period between 1st January, 1971 and 31st March, 1973.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate for the Indian Economic Service must have obtained a degree with Economics or Statistics as a subject and a candidate for the Indian Statistical Service must have obtained a degree with Statistics or Mathematics or Economics as a subject from any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than 1st October, 1984.

NOTE II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission.

NOTE III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign University may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

8. All candidates in Government service, whether in a permanent or in temporary capacity or as work-charged employees, other than casual or daily-rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing, their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employers by the Commission with permission to the candidates' applying for/appearing at the examination, their application shall be rejected/candidature shall be cancelled.

9. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

10. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

11. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing, irrelevant matter including, obscene language or pornographic matter, in the script(s), or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or

(xi) Violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf: and

(ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

12. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for *viva voce.*

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may be summoned for *viva voce* by the Commission by the applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for *viva voce* on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

13. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes can not be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

14. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

15. In the case of the candidates competing for both the Services, due consideration will be given to the order of preference expressed by a candidate at the time of his application.

No request for alteration in preferences indicated by candidates in respect of Services for which they desired to be considered, would be entertained unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of publication of the results of the written examination in the "Employment News".

16. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for appointment to the Service.

17. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such physical examination as Government or, the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for *viva voce* by the Commission may be required to undergo physical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix III to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of the Service(s).

18. No person :—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

19. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are stated in Appendix-II.

P. G. LELE
Director (ES)

APPENDIX I

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I.—Written examination carrying a maximum of 900 marks in the subjects as shown below.

Part II.—*Viva voce* (vide Part 'B' of the Schedule to this Appendix of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 250 marks.

2. The subjects of the written examination under Part I, the maximum marks allotted to each subject/paper and the time allowed shall be as follows :—

Sl. No.	Subject	Code No.	Maximum Marks	Time Allowed
1	2	3	4	5
A.	Indian Economic Service			
1	General English	01	150	3 hrs.
2.	General Studies	02	150	3 hrs.
3.	General Economics I	200		
	Part I . .	03	Part-I-1hr.	3 hrs.
	Part II . .	04	Part-II-2 hrs.	
4.	General Economics II	200		
	Part I	05	Part-I-1hr.	3 hrs.
	Part II	06	Part-II-2 hrs.	
5.	Indian Economics	200		
	Part I . .	07	Part-I-1hr.	3 hrs.
	Part II	08	Part-II-2 hrs.	

N.B.—In the case of papers on subjects at S. Nos. 3 to 5 above if a candidate does not reach the Examination Hall within the permissible time limit and is not admitted to the examination in Part I of the paper, he will not be entitled to be admitted to Part II of the paper.

B.	Indian Statistical Service			
1.	General English .	01	150	3 hrs.
2.	General Studies .	02	150	3 hrs.
3.	Statistics I .	09	200	3 hrs.
4.	Statistics II .	10	200	3 hrs.
5.	Statistics III .	11	200	3 hrs.

NOTE I.—The papers on the subjects 'General English' and 'General Studies' will cosist of objective type questions only.

NOTE II.—Part I of the paper on subjects at S. Nos. 3 to 5 above for the Indian Economic Service will consist of objective type questions only and Part II of the papers on these subjects will consist of short answer and essay type questions.

NOTE III.—The papers on the subjects at S. Nos. 3 and 4 for the Indian Statistical Service will consist of objective type questions only and the paper on the subject at S. No. 5 will consist of essay type questions.

NOTE IV.—For details including sample questions for the papers on the subjects which will consist of objective type questions please see "Candidates Information Manual" at Annexure II to the Commission's Notice.

NOTE V.—The standard and syllabi of the subjects mentioned above are given in Part A of the Schedule to this Appendix.

3. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

6. If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account, from the total marks otherwise accruing to him.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words.

9. In the question papers wherever necessary, questions involving the use of Metric System of Weights and Measures only will be set.

10. Candidates are permitted to bring and use battery operated pocket calculators for conventional (essay) type papers only. Loaning or inter-changing of calculators in the Examination Hall is not permitted.

It is also important to note that candidates are not permitted to use calculators for answering objective type papers (Test Booklets). They should not, therefore, bring the same inside the Examination Hall.

11. Candidates should use only International Form of Indian numerals (e.g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.) while answering question papers.

THE SCHEDULE

PART A

The standard of papers in General English and General Studies will be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will be that of the Master's degree examination of an Indian University in the relevant disciplines. The candidates will be expected, to illustrate theory by facts, and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian problems in the field(s) of Economics/Statistics.

GENERAL ENGLISH (CODE NO. 01)

The questions will be designed to test the candidate's understanding of English and workman like use of words.

GENERAL STUDIES (CODE NO. 02)

The paper in General Studies will include knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

GENERAL ECONOMICS I (CODE NO. 03 FOR PART I AND 04 FOR PART II)

Theory of consumer's demand : Indifference curve analysis. Revealed preference approach.

Theory of production : Factors of production. Production function. Laws of return. Equilibrium of the firm and the industry.

Theory of value : Pricing under various forms of market organisation. Public utility pricing.

Theory of distribution : Pricing of factors of production. Theories of rent wages, interest and profit. Macro distribution theory. Adding up problem. Inequalities in income distribution.

Welfare-economics : Old and new welfare economics. The compensation principle, policy implications.

Concept of national income. Social accounting.

Theory of employment output and inflation—the classical and neo-classical approaches. Keynesian theory of employment. Post Keynesian developments.

GENERAL ECONOMICS—II (CODE NO 05 FOR PART—I AND 06 FOR PART—II)

Concept of economics growth and its measurement. Theories of growth.

Characteristics and problems of developing countries. Population growth and economic development.

Planning : Concept and methods. Planning under capitalist and socialist forms of economic organisation. Planning in a mixed economy. Perspective planning. Regional Planning. Investment criteria and choice of techniques.

International economics : Theories of international trade, gains from trade. Terms of trade. Trade policy. International trade and economic development. Theory of tariffs.

Balance of payments. disequilibrium in balance of payments. Mechanism of adjustments. Foreign trade. multiplier. Exchange rates. Import and exchange controls.

I M F and international monetary reforms. GATT; International aid for economic growth. I.B.R.D. and its affiliates.

Money : Its value and functions. Monetary policy. Functions of central and commercial banks.

Fiscal policy and its objectives : Theories of taxation and expenditure. Objectives and effects of public expenditure. Effects and incidence of taxation. Deficit financing. Theory of public debt.

Use of statistics in economics. Statistical average and measures of dispersion. Index numbers of prices and quantities—their limitations.

INDIAN ECONOMICS (Code No 07 for Part I and 08 for Part II)

Basic features of the Indian economy : Development strategy: Role of agriculture and industry; Role of foreign trade. Concept of balanced growth.

Planning : Objectives. priorities and problems. Five year plans. Problem of resource mobilisation.

Agriculture : New agricultural strategy; land relations and land reforms: rural credit role of irrigation and fertiliser; agricultural marketing. Prices of agricultural produce. Crop planning. Community development. Subsidiary occupations and rural industries.

Cooperation : its role in rural development. Growth of cooperative movement in India.

Industry : Strategy of industrial development. Problem of location. Problems of large and small scale industries. Industrial policy. Industrial estates. Sources of industrial finance. Role of foreign capital. Public enterprises: Organisation, management control and accountability, price policy.

Labour : Employment. unemployment and under employment. Industrial relations and labour welfare. Labour policy. Wages, prices and income policy.

[illegible] foreign trade. Foreign trade policy. State trading. Balance of payments.

Money and Banking : organisation of the Indian money market. Functioning of the commercial banks and the Reserve Bank of India. Monetary policy.

Public Finance : Fiscal Policy; Growth of public expenditure. Tax policy. Main sources of revenue of Union and State Governments. Public debt policy. Deficit financing. Union-State financial relations.

STATISTICS—I (Code No. 09)

NOTE :—ONLY OBJECTIVE TYPE (MULTIPLE CHOICE) QUESTIONS WILL BE SET.

Probability (40 per cent weight)

Elements of measure theory. Classical definition and axiomatic approach. Sample space. Laws of total and compound probability. Probability of m events out of n. Conditional probability. Bayes' theorem. Random variable—discrete and continuous. Distribution function. Standard probability distributions—Bernoulli uniform binomial, poisson, geometric, rectangular, exponential normal, cauchy, hypergeometric, multinomial. Laplace negative binomial beta gamma lognormal and compound Poisson distribution. Convergence in distribution, in probability with probability one and in mean square. Moments and cumulants. Mathemetical expectation and conditional expectation. Characteristic function and moment and probability generating functions. Inversion uniqueness and continuity theorems. Tchebycheff's and Kolmogorov's inequalities. Laws of large numbers and central limit theorems for independent variables.

Statistical methods (45 per cent weight)

Collection compilation and presentation of data. Charts, diagrams and histogram. Frequency distribution. Measures of location dispersion and skewness. Bivariate and multivariate data. Association and contingency. Curve fitting and orthogonal polynomials. Bivariate distributions. Bivariate normal distribution. Regression-linear, polynomial. Distribution of the correlation coefficient. Partial and multiple correlation. Intraclass correlation. Correlation ratio.

Standard errors and large sample tests. Sampling distributions of x, S^2t, chi-square and F; tests of significance based on them.

Non-parametic tests—sign, median run, Wilcoxon, Mann-Whitney Wald-Wolfowitz etc. Rank order statistics—minimum, maximum, range and median

Numerical Analysis (15 per cent weight)

Interpolation formulae (with remainder terms) due to Lagrange. Newton Gregory. Newton (Divided difference), Gauss and Stirling. Euler Maclaurin's summation formula. Inverse interpolation. Numerical integration and differentiation. Difference equations of the first order. Linear difference equations with constant co-efficients.

STATISTICS—II (Code No 10)

NOTE :—ONLY OBJECTIVE TYPE (MULTIPLE CHOICE) QUESTIONS WILL BE SET.

Linear Models (25 per cent weight)

Theory of linear estimation. Gauss-Markoff set up. Least square estimators. Use of g-inverse. Analysis of one-way and two way classified data—fixed mixed and random effect models. Tests for regression co-efficients

Estimation (25 per cent weight)

Characteristics of a good estimator. Estimation methods of maximum likelihood minimum chi-square moments and least squares. Optimal properties of maximum likelihood estimators. Minimum variance unbiased estimators. Minimum variance bound estimators. Cramer-Rao inequality. Bhattacharya bounds. Sufficient estimator. Factorisation theorem. Complete statistics. Rao-Blackwell theorem. Confidence interval estimation. Optimum confidence bounds.

Hypothesis testing (25 per cent weight)

Simple and composite hypotheses. Two kinds of error Critical region. Different types of critical regions and similar regions. Power function. Most powerful and uniformly most powerful tests. Neyman-Pearson fundamental lemma. Unbiased test. Randomised test. Likelihood ratio test. Wald's SPRT. OC and ASN functions. Elements of decision and game theory.

Multivariate Analysis (25 per cent weight)

Multivariate normal distribution. Estimation of mean Vector and covariance matrix. Distribution of Hotelling's T^2 statistic. Mahalanobis's D^2 statistic, partial and multiple correlation coefficients in samples from a multivariate normal population. Wishart's distribution, its reproductive and other properties. Wilks criterion. Discriminant function Principal components. Canonical variates and correlations.

STATISTICS—III (Code No. 11)

NOTE :—ONLY ESSAY TYPE QUESTIONS. NOT INVOLVING LENGTHY AND COMPLICATED PROOFS WILL BE SET.

PART(a) (Compulsory for all)

Sampling Techniques (35 per cent weight)

Census versus sample survey. Pilot and large scale sample surveys. Simple random sampling with and without replacement. Stratified sampling and sample allocations. Cost and variance functions. Ratio and regression methods of estimation. Sampling with probability proportional to size. Cluster double, multipha [illegible] matic sampling. Interpenetrating [illegible] errors.

Economic Statistics (25 per cent weight)

Components of time series. Methods of their determination—variate difference method. Yule-Slutsky effect. Correlogram. Autoregressive models of first and second order. Periodogram analysis. Index numbers of prices and quantities and their relative merits. Construction of index numbers of wholesale and consumer prices. Income distribution—Pareto and Engel curves. Concentration curve. Methods of estimating national income. Inter-sectoral flows. Inter-industry table.

PART (b)

CANDIDATES WILL BE ALLOWED OPTION OF ANSWERING QUESTIONS ON ANY ONE OF THE FOLLOWING TOPICS

(i) *Statistical Quality Control and Operations Research* (40 per cent weight)

Different kinds of control charts of variables and attributes. Acceptance sampling by attributes—Single, double, multiple and sequential sampling plans. OC and ASN functions. Concept of AOQL and ATI. Acceptance sampling by variable—use of Dodge—Roming and other tables.

Operations research approach Elements of linear programming. Simplex procedure. Transport and assignment problems. Principle of duality. Single and multi-period inventory control models. ABC analysis. Characteristics of a waiting line model. M/M/I, M/M/C models. General simulation problems. Replacement models for items that fail and of items that deteriorate.

(ii) *Demography and Vital Statistics* (40 per cent weight)

The life table, its construction and properties Makeham's and Gompertz curves. National life tables UN model life tables. Abridged life tables. Stable and stationary populations. Different birth rates. Total fertility rate Gross and net reproduction rates. Different mortality rates Standardised death rate. Internal and international migration; net migration. International and pasicensal estimates. Projection methods including logistic curve fitting. Decennial population censuses in India.

(iii) *Design and Analysis of Experiments* (40 per cent weight)

Principles of design of experiments. Layout and analysis of completely randomised, randomised block and latin square designs. Factorial experiments confounding in 2^n and 3^s experiments. Split-plot and strip-plot design. Construction. and analysis of balanced and partially balanced incomplete block designs. Analysis of covariance. Analysis of non-orthogonal data. Analysis of missing and mixed plot data.

(iv) *Econometrics* (40 per cent weight)

Theory and analysis of consumer demand—specification and estimation of demand functions. Demand elasticities. Structure and model. Estimation of parameters in single equation model—classical least squares, generalised least-squares, heteroscedasticity, serial correlation, multicollinearity, errors in variables model. Simultaneous equation models—Identification, rank and order conditions. Indirect least squares and two stage least squares. Short-term economic forecasting.

PART B

Viva Voce.—The candidate will be interviewed by a Board of competent and unbiased observers who will have before them a record of his career. The object of the interview is to assess his suitability for the Service or Services for which he has competed. The interview is intended to supplement the written examination for testing the general and specialised knowledge and abilities of the candidate. The candidate will be expected to have taken an intelligent interest not only in his subjects of academic study, also in events which are happening around him both within and without his own State or country as well as in modern currents of thought and in new discoveries which should rouse the curiosity of well-educated youth.

The technique of the interview is not that of strict cross examination, but of a natural, though directed and purposive conversation intended to reveal the candidate's mental qualities and his grasp of problems. The Board will pay special attention to assessing the intellectual curiosity, critical powers of assimilation, balance of judgment and alertness of mind, the ability for social cohesion, integrity of character, initiative and capacity for leadership.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the two Services to which recruitment is being made through this examination :

1. Candidates selected for appointment to either of the two Services will be appointed to Grade IV of the Service on probation for a period of two years which may be extended if necessary. During the period of probation, the candidates will be required to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as the Government may determine.

2. If in the opinion of Government the work or conduct of the officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient Government may discharge him forthwith.

3. On the expiry of the period of probation or of any extension, if the Government are of opinion that a candidate is not fit for the permanent appointment Government may discharge him

4. On completion of the period of probation to the satisfaction of Government, the candidate shall if considered fit for permanent appointment be confirmed in his appointment subject to the availability of substantive vacancies in permanent posts.

5. Prescribed scales of pay for both the Indian Statistical Service and the Indian Economic Service are as follows :

Selection Grade Rs. 2000—125/2—2250

(Non-functional)

Grade I—Director Rs. 1800—100—2000.

Grade II—Joint Director Rs. 1500—60—1800.

Grade III—Deputy Director Rs. 1100—50—1600

Grade IV—Assistant Director Rs 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

6. Promotion to the next Grade of the Service will be made in accordance with the provisions of Indian Economic Service/Indian Statistical Service Rules, as amended from time to time.

An officer belonging to the Indian Statistical Service/ Indian Economic Service will be liable to serve anywhere in India or abroad under the Central Government and may be required to serve in any post including any State Government or non-governmental organisation on deputation for a specified period.

7. Conditions of service and leave and pension etc. for officers of the two Services will be governed by the rules applicable to members of other Central Civil Service Group 'A'.

8. Condition of Provident Fund are the same as laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

APPENDIX III

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and to enable them to ascertain the probability of their being of the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to the medical examiners.

2. The Government of India reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.]

1. To be passed as fit for appointment a candidate may be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2 In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidates should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels calve buttocks and shoulders touching the standard the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centemetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the interior angles of the shoulder blades, behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres 84—89, 86—93 etc. In recording the measurements, fractions of less than a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed, and his weight recorded in kilograms; fraction of half a kilogram should not be noted.

6. (a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses.

Distant vision		Near vision	
Better eye (Corrected vision)	Worse eye	Better eye (Corrected vision)	Worse eye
6/9	6/9		
6/9	or		
	6/12	J-I	J-II

(d) In every case of myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he should be declared unfit.

(e) *Field of Vision.*—The field of vision will be tested by the confrontation method When such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) *Night Blindness.*—Broadly there are two types of night blindness. (1) as a result of Vit. A deficiency and (2) as a result of Organic Disease of Retina—a common cause being Retinitis pigmentosa, in (1) the fundus is normal, generally seen in younger age-group and ill-nourished persons and improves by large doses of Vit. A. and (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult, and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2) dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-Retinography is required to be done. Both these tests (dark adaptation and retinography) are time consuming and require specialized set-up and equipment, and thus are not possible as a routine test in a medical check-up Because of these technical consideration it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employee.

lines for the medical examining authority in this regard :—

(1) Marked or total deafness in one ear other ear being normal.	Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency.
(2) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in speech frequency of 1000 to 4000.
(3) Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type.	(i) One ear normal other ear perforation of tympanic, membrane present—Temporarily unfit. Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below. (ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit. (iii) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
(4) Ears with Mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.	(i) Either ear normal hearing other ear Mastoid cavity. Fit for both technical and non-technical jobs. (ii) Mastoid cavity of both sides,—Unfit for technical jobs. Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 Decibels in either ear with or without hearing aid.
(5) Persistently discharging ear operated/unoperated.	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
(6) Chronic inflammatory/allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. (ii) If deviated nasal Septum is present with symptoms—Temporarily unfit.
(7) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or larynx—Fit. (ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then—Temporarily unfit.
(8) Benign or locally malignant tumours of the ENT.	(i) Benign tumours—Temporarily Unfit. (ii) Malignant Tumours—Unfit.
(9) Otosclerosis.	If the hearing is within 30 Decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit.
(10) Congenital defects of ear, nose or throat.	(i) If not interfering with functions—Fit. (ii) Stuttering of severe degree—Unfit.
(11) Nasal Poly	Temporarily Unfit.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good order and that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease.

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

In case of doubt regarding health of a candidate, the Chairman of the Medical Board may consult a suitable Hospital specialist to decide the issue of fitness or unfitness of the candidate for Government Service, e.g., if a candidate is suspected to be suffering from any mental defect or abberation, the Chairman of the Board may consult a Hospital Psychiatrist/Psychologist, etc.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The candidates filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50 in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like, enclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeal should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates, otherwise, requests for second medical

(g) *Ocular condition other than visual acuity.*—(i) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.

(ii) *Squint.*—For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard should be considered a disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as a disqualification, if the visual acuity is of the prescribed standard.

(iii) *One eye.*—If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is employpic or has subnormal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommend as fit such person provided the normal eye has—

(i) 6/6 distant vision and JI near vision with or without glasses provided the error in any meridian is not more than 4 dioptres for distant vision.

(ii) has full field of vision.

(iii) normal colour vision wherever required.

Provided the board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

(h) *Contact Lenses.*—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye tests, the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. *Blood Pressure*

The board will use its discretion regarding Blood Pressure.

A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subject over 25 years of the age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 and diastolic over 90 should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc. or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electro-cardiographic examination, of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient, and particularly his arm is relaxed he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patients side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level of the column at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff (Some times as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level. This 'Silent Gap' may cause error in reading)

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate fit subject to the glycosuria being non-diabetic and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed.

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist; provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guide-

examination by an Appellate Medical Board will not be entertained The medical examination by the Appellate Medical Boards would be arranged at New Delhi only and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Board would be taken by the Cabinet Sect. (Deptt of Personnel and Administrative Reforms) on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and the rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to enterfere with continuous effective service

The Board should normally consist of three members (i) a physician (ii) a Surgeon and (iii) an Ophthalmologist all of whom should as far as practicable, be of equal status. A lady doctor will be coopted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Economic Service/ Indian Statistical Service are liable for field service in or out of India In case of such a candidate the Medical Board should specifically record their opinion as to his fitness or otherwise for field service The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In cases where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad-terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re examination should not ordinarily exceed six months at the maximum On re examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given

(a) *Candidate's statement and declaration*

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto His attention is specially directed to the warning contained in the Note below .

1. State your name in full (in block letters) ....

2 State your age and birth place ... .

(a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwali, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower ? Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the race .....

3 (a) Have you ever had smallpox. intermittent or any other fever-enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis ....

OR

(b) Any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?

4. When were you last vaccinated ? .....

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cause ? ... .

6 Furnish the following particulars concerning your family:—

Father's age if living and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at, and cause of death

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living, their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at, and cause of death

7. Have you been examined by a Medical Board before ? ....

8. If answer to the above is 'Yes' please state what Service/Services, you were examined for ....

9. Who was the examining authority ? ....

10. When and where was the Medical Board held ? . . . .

11. Result of the Medical Board's examination. If communicated to you or if known. .. ..

I declare that all the above answers are to the best of my belief, true and correct.

Candidate's signature.....

Signed in my presence .....

Signature of the Chairman of the Board

NOTE—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to superannuation Allowance or Gratuity.

Report of the Medical Board on (name of candidate) .....Physical Examination

1. General development : Good.....fair..... Poor .....

Nutrition : Thin.....Average.....Obese ..... Height (without shoes) .....weight.....

Best Weight.....When ?..... .....any recent change in weight ?.....Temperature .....

Girth of Chest:

(1) (After full inspiration) .....

(2) (After full expiration) .....

2. Skin : Any obvious disease .....

3. Eyes :

(1) Any disease .....

(2) Night blindness .....

(3) Defect in colour vision .....

(4) Field of vision .....

(5) Visual acuity .....

(6) Fundus examination.....

Actuity of vision		Naked eye with glasses	Strength of glasses Sph	Cyl.	Axis
Distant vision	R.E.				
	L.E.				
Near vision	R.E.				
	L.E.				

4. Ears : Inspection.....Hearing : Right Ear..... Left Ear .....

5. Glands .....Thyroid .....

6. Condition of teeth .....

7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?..... If yes, explain fully.....

8. Circulatory System :

(a) Heart : Any organic lesion ?.....Rate Standing ..... After hopping 25 times..... 2 minutes after hopping.....

(b) Blood Pressure : Systolic.....Diastolic .....

9. Abdomen : Girth..... Tenderness..... Hernia .....

(a) Palpable : Liver.....Spleen..... Kidneys.....Tumours.....

(b) Haemorrhoids .....Fistula .....

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities .....

11. Loco Motor System : Any abnormality.....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hyderocele, varicocele, etc.

Urine Analysis .

(a) Physical appearance .....

(b) Sp. Gr. .....

(c) Albumen .....

(d) Sugar .....

(e) Casts .....

(f) Cells .....

13. Report of Screening/X-ray Examination of Chest..... .....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ? .....

NOTE : In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, *vide* regulation 9.

15. (i) Has he been found qualified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Economic Service and Indian Statistical Service ?

(ii) Is the candidate fit for FIELD SERVICE ?.....

NOTE—The Board should record their findings under one of the following three categories :

(i) Fit ....

(ii) Unfit on account of ....

(iii) Temporarily unfit on account of ....

Chairman

Place .....

Member

Date .....

Member

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1984